KHAN GLOBAL STUDIES
KGS Campus, Sai Mandir, Musallahpur Hatt, Patna - 6
Mob : 8877918018, 875735880

BPSC - Polity

By : Karan Sir

चुनाव - Election

चुनाव का तात्पर्य क्या है?

☛ चुनाव या निर्वाचन, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता (लोग) अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। चुनाव के द्वारा ही आधुनिक लोकतंत्रों के लोग विधायिका के विभिन्न पदों पर आसीन होने के लिये व्यक्तियों को चुनते हैं। चुनाव के द्वारा ही क्षेत्रीय एवं स्थानीय निकायों के लिये भी व्यक्तियों का चुनाव होता है। वस्तुतः चुनाव का प्रयोग व्यापक स्तर पर होने लगा है और यह निजी संस्थानों, क्लबों, विश्वविद्यालयों, धार्मिक संस्थानों आदि में भी प्रयुक्त होता है।

चुनाव आयोग क्या है ?

☛ भारत निर्वाचन आयोग एक स्व्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ एवं राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। यह निकाय भारत में लोक सभा, राज्य सभा, राज्य्य विधान सभाओं, देश में राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों का संचालन करता है।

चुनाव आयोग की संरचना

☛ संविधान में निर्वाचन आयोग की संरचना से सम्बंधित निम्न प्रावधान शामिल किया गये हैं-

- ❖ निर्वाचन आयोग एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके अन्य निर्वाचन आयुक्तों से जिसे राष्ट्रपति नियत करे, मिलाकर बनता है।
- ❖ मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है।
- ❖ यदि एक से अधिक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किये जाते है तो ऐसी स्थिति में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप कार्य करेंगें।
- ❖ निर्वाचन आयोग से सलाह लेने के बाद राष्ट्रपति उतनी संख्या में प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति भी कर सकता है जितने की निर्वाचन आयोग को सहायता देने के लिए आवश्यक हों।
- ❖ निर्वाचन आयुक्तों और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होगीं जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा तय करे।

☛ हालाँकि,मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष होता है लेकिन उसकी शक्तियां अन्य निर्वाचन आयुक्तों के समान ही होती हैं। आयोग द्वारा सभी मसलों पर बहुमत से निर्णय लिया जाता हैद्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य दो निर्वाचन आयुक्त समान वेतन, भत्ते व अन्य सुविधाएँ प्राप्त करते हैं।

चुनाव आयोग की स्वतंत्रता के प्रावधान

☛ संविधान के अनुच्छेद-324 में चुनाव आयोग के स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध हैं। हालाँकि इनकी स्वतंत्रता को मुख्यतः दो प्रारूपों में बाँटा जा सकता है-

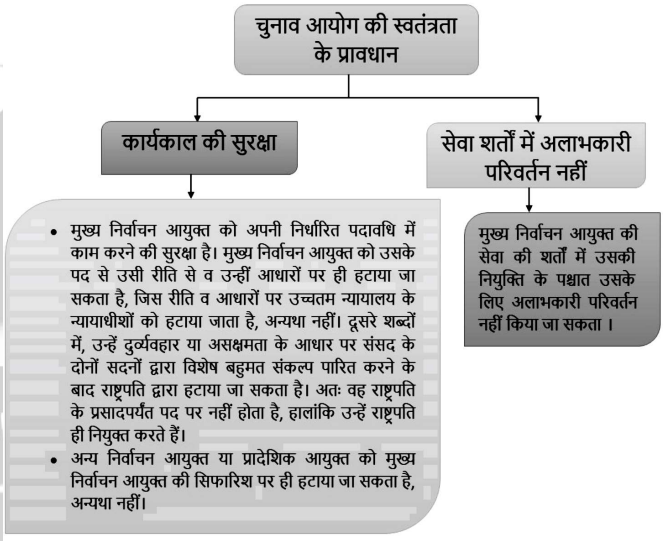

चुनाव आयोग की शक्तियाँ एवं कार्य-

☛ चुनाव आयोग की शक्तियां व कार्य निम्नलिखित हैं जिसे बिन्दुवार दर्शाया गया है-

- ❖ यह परिसीमन आयोग अधिनियम के अनुरूप निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है।
- ❖ यह निर्वाचक नामावलियों को तैयार करता है और समय-समय पर उनमें सुधार करता है। यह सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करता है।
- ❖ यह चुनावों कार्यक्रम निर्धारित करता है और उसे अधिसूचित करता है।

- ❖ यह चुनाव हेतु प्रत्याशियों के नामांकन स्वीकार करता है उनकी जाँच करता है।
- ❖ यह राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह प्रदान करता है।
- ❖ यह चुनावों में विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा किये गए प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दलों का दर्जा प्रदान करता है।
- ❖ यह राजनीतिक दलों की पहचान और चुनाव चिन्ह से सम्बंधित विवादों में न्यायालय की भूमिका निभाता है।
- ❖ यह निर्वाचन व्यवस्था से सम्बंधित विवादों की जाँच के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता है।
- ❖ यह राजनीतिक दलों को दूरदर्शन व रेडियो पर अपनी नीतियों व कार्यक्रमों के प्रचार के लिए समय-सीमा का निर्धारण करता है।
- ❖ यह सुनिश्चित करता है कि आदर्श आचार संहिता का सभी दलों व प्रत्याशियों द्वारा पालन किया जाये।
- ❖ यह संसद सदस्यों की अयोग्यता से सम्बंधित मामलों में राष्ट्रपति को सलाह प्रदान करता है।
- ❖ यह राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से सम्बंधित मामलों में राज्य के राज्यपाल को सलाह प्रदान करता है।
- ❖ यह राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास चुनाव को सम्पन्न कराने के लिए जरुरी स्टाफ को उपलब्ध करने के लिए निवेदन करता है।
- ❖ यह चुनाव कार्यप्रणाली का सर्वेक्षण करता है और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव को संपन्न कराना सुनिश्चित करता है।
- ❖ यह अनियमितता व दुरूपयोग के आधार पर किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदान को रद्द कर सकता है।
- ❖ यह राष्ट्रपति को इस सम्बन्ध में सलाह देता है कि किसी राज्य में चुनाव कराये जा सकते है या नहीं।

चुनाव कानून

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

- ☛ यह लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं और विधान परिषदों में सीटों के आवंटन का प्रावधान करता है।
- ☛ यह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिये प्रक्रियाएँ निर्धारित करता है।
- ☛ यह मतदाताओं की योग्यता को निर्धारित करता है।
- ☛ यह मतदाता सूची तैयार करने और खाली सीटें भरने के तरीके के लिये प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का महत्त्व

- ☛ यह अधिनियम प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान करता है जिससे निर्वाचक और प्रतिनिधि के बीच प्रत्यक्ष संपर्क सुनिश्चित होता है तथा इससे निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक सहभागी बनाने में भी मदद मिलती है।
- ☛ यह निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान करता है, जो निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक जीवंत बनाने के लिये बढ़ती आबादी की बदलती गतिशीलता के अनुरूप निर्वाचन क्षेत्रों का समायोजन करता है।
- ☛ यह अधिनियम लोकसभा में सभी राज्यों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान कर देश की संघीय राजव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

- ☛ चुनावों के आयोजन को विनियमित करना
- ☛ सदन की सदस्यता हेतु योग्यताओं और निर्योग्यताओं को विनिर्दिष्ट करना
- ☛ भ्रष्ट प्रथाओं और अन्य अपराधों पर अंकुश लगाना
- ☛ निर्वाचन संबंधी आशंकाओं और विवादों के समाधान के लिये प्रक्रियाओं का निर्धारण करना

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का महत्व

- ☛ यह अधिनियम भारतीय लोकतंत्र के सुचारु संचालन के लिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के प्रतिनिधि निकायों में प्रवेश को प्रतिबंधित कर भारतीय राजनीति को अपराध-मुक्त (Decriminalize) बनाता है ।
- ☛ प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों को घोषित करने और चुनाव खर्च का ब्यौरा सार्वजनिक करने को अनिवार्य बनाता है। यह प्रावधान सार्वजनिक निधि के उपयोग या व्यक्तिगत लाभ के लिये शक्ति के दुरुपयोग के संबंध में उम्मीदवारों की जवाबदेही और पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है ।
- ☛ यह बूथ कैप्चरिंग, घूसखोरी या शत्रुता को बढ़ावा देने जैसी भ्रष्ट प्रथाओं को प्रतिबंधित कर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के आयोजन को सुनिश्चित करता है, जो किसी भी लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिये अनिवार्य शर्त है ।
- ☛ इस अधिनियम के अनुसार, केवल वही राजनीतिक दल चुनावी बॉण्ड प्राप्त करने के हकदार हैं जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हैं। यह प्रावधान राजनीतिक फंडिंग के स्रोत को ट्रैक करने और चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र प्रदान करता है।

☛ संविधान का अनुच्छेद 326, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 किसी भी चुनावी प्रक्रिया को कुशल और जवाबदेह बनाने के लिये आवश्यक लगभग सभी अनिवार्य प्रावधानों को कवर करता है। इस प्रकार ये तीनों स्तंभ संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और समावेशी बनाकर सहभागी लोकतंत्र के लिये मार्ग प्रशस्त करते हैं।

चुनाव सुधार

☛ भारत में चुनाव सुधार को लेकर समय-समय पर विभिन्न समितियों एवं आयोगों का गठन किया जाता रहा हैं। इन समितियों एवं आयोगों को एक तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है-

चुनाव सुधर से संबंधित विभिन्न समितियाँ एवं आयोग			
क्र.सं.	**समितियाँ/आयोग**	**वर्ष**	**सम्बंधित तथ्य**
1.	संयुक्त संसदीय समिति	1971-72	इसका मुख्य काम चुनाव कानूनों में संशोधन करना था|
2.	तारकुंडे समिति	1974	इसका गठन जयप्रकाश नारायण द्वारा सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान किया गया था|
3.	दिनेश गोस्वामी समिति	1990	
4.	वोहरा समिति	1993	अपराध एवं राजनीति के बीच गठजोड़ की जाँच करने के लिए|
5.	इन्द्रजीत गुप्ता समिति	1998	चुनाव का खर्च सरकार के द्वारा वहन करने के लिए|
6	राष्ट्रीय आयोग	2000-2002	• संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए| • एम्.एन. वेंकटचलैया इसके अध्यक्ष थे|
7.	तनखा समिति	2010	चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम सवालों को देखने के लिए|
8.	जे.एस.वर्मा समिति	2013	अपराधिक कानूनों में संशोधन हेतु

☛ इन समितियों एवं आयोगों की अनुशंसाओं के आधार पर चुनाव प्रणाली में निम्नलिखित चार भागों में बांट कर चुनाव सुधार किए गए हैं-इसे एक तालिका के माध्यम से दर्शाया गया है-

भारत में चुनाव व्यवस्था का प्रावधान

☛ भारत में चुनाव व्यवस्था को लेकर निम्नलिखित प्रावधान किया गया हैं इसे एक आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है-

चुनाव सुधार का विभाजन
1996 के पहले के चुनाव सुधार
1996 का चुनाव सुधार
1996 के बाद के चुनाव सुधार
2010 से अब तक के चुनाव सुधार
वोट देने की आयु को कम करना
चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति
प्रस्तावकों की संख्या में वृद्धि
EVM
बूथ कब्ज़ा
मतदाता फोटो पहचान पत्र
राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति का चुनाव
चुनाव ड्यूटी के लिए कर्मचारी बुलाना
डाक मतपत्र के जरिए वोट डालना
प्रॉक्सी के जरिए वोट देने की सुविधा
उम्मीदवारों द्वारा अपराधिक इतिहास, संपत्ति आदि की घोषणा
राज्यसभा चुनाव में बदलाव
मतदाता सूचि आदि की निशुल्क आपूर्ति
राजनीतिक दलों को चंदा लेने की स्वतंत्रता
इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया पर समय का आवंटन
EVM में ब्रेल लिपि की शुरुआत
उम्मीदवारों के नामों को सूचीबद्ध करना
राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने पर अयोग्य घोषित करने का कानून
शराब बिक्री पर प्रतिबन्ध
प्रस्तावकों को संख्या
उम्मीदवारों की मृत्यु
उप-चुनाव की समय सीमा
मतदान के दिन कर्मचारी का अवकाश
दो से अधिक चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध
हथियार पर रोक
चुनाव प्रचार की अवधी में कमी
एक्जिट पोल पर प्रतिबन्ध
अयोग्य घोषित कराने के लिए मामला दर्ज कराने की समय सीमा
जमानत की राशि में बढ़ोतरी
जिला में अपीलीय अधिकारी
NRI को वोट देने का अधिकार
मतदाता सूचि में ऑनलाइन नामांकन
NOTA विकल्प शुरू करना
जेल या पुलिस हिरासत में रहने वाला व्यक्ति का चुनाव लड़ना
दोषी प्रतिनिधियों की तत्काल अयोग्यता प्रभावी

मतदान - Voting

मतदान व्यवहार क्या है?

☛ मतदान व्यवहार से तात्पर्य चुनाव में भाग लेने के दौरान व्यक्तियों या मतदाताओं के समूहों द्वारा किए गए कार्यों, विकल्पों और निर्णयों से है। इसमें वे कारक और प्रभाव शामिल हैं जो यह तय करते हैं कि लोग मतपत्र पर विशिष्ट उम्मीदवारों, पार्टियों या विकल्पों के लिए वोट क्यों करते हैं। मतदान व्यवहार का अध्ययन उन प्रेरणाओं, पैटर्नों और रुझानों को समझने का प्रयास करता है जो व्यक्तियों को उनके चुनावी विकल्पों में मार्गदर्शन करते हैं, लोकतंत्र और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की गतिशीलता में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

मतदान व्यवहार की परिभाषाएँ

☛ मतदान व्यवहार को निम्न विद्वानों द्वारा परिभाषित किया गया हैं जिसे एक तलिखा के माध्यम द्वारा दर्शाया गया है-

मतदान व्यवहार की परिभाषाएँ		
क्र.सं.	विद्वानों के नाम	संबंधित परिभाषाएं
1.	गॉर्डन मार्शल	मतदान व्यवहार का अध्ययन हमेशा उन निर्धारकों पर केंद्रित होता है कि लोग सार्वजनिक चुनावों में मतदान क्यों करते हैं और वे अपने निर्णयों पर कैसे पहुंचते हैं।
2.	स्टीफन वासबी	वोटिंग व्यवहार के अध्ययन में व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक संरचना और राजनीतिक कार्रवाई के साथ-साथ संस्थागत पैटर्न, जैसे संचार प्रक्रिया और उनके संबंध का विश्लेषण शामिल है। इसका असर चुनाव पर पड़ता है।

मतदान व्यवहार क्यों आवश्यक है?

मतदान व्यवहार निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है-

☛ यह राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है।

☛ यह अभिजात वर्ग के साथ-साथ जनता के बीच एक मूल्य के रूप में लोकतंत्र के आंतरिककरण की जांच करने में मदद करता है।

☛ यह क्रांतिकारी मतपेटी के वास्तविक प्रभाव पर जोर देता है।

☛ यह इस बात पर प्रकाश डालने में सक्षम बनाता है कि चुनावी राजनीति अतीत से कितनी दूर तक चलती है या उससे कितनी अलग है।

☛ राजनीतिक विकास के संदर्भ में यह आधुनिक है या आदिम, इसको मापने में मदद करता है।

मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक

☛ मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं जिसे एक आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है-

पार्टी संबद्धता और विचारधारा-

☛ कई व्यक्ति साझा मूल्यों, विश्वासों और विचारधाराओं के कारण खुद को एक विशेष राजनीतिक दल के साथ जोड़ लेते हैं। यदि कोई उम्मीदवार उन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है जो उन्हें प्रिय हैं, तो उन्हें वोट मिलने की अधिक संभावना है।

उम्मीदवार का व्यक्तित्व और करिश्मा-

☛ लोग अक्सर ऐसे उम्मीदवारों की ओर आकर्षित होते हैं जो भरोसेमंद, करिश्माई और वास्तविक लगते हैं। विश्वसनीयता, सहानुभूति और मजबूत उपस्थिति जैसे व्यक्तिगत गुण मतदाताओं की धारणाओं को प्रभावित कर सकते हैं।

नीतिगत स्थितियाँ-

☛ स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक मामलों जैसे प्रमुख मुद्दों पर एक उम्मीदवार का रुख महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतदाता उन उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं जिनकी नीतियां उनकी प्राथमिकताओं और चिंताओं के अनुरूप होती हैं।

नेतृत्व और क्षमता-

☛ मतदाता अक्सर किसी उम्मीदवार की प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने और अच्छे निर्णय लेने की क्षमता का आकलन करते हैं। पिछला अनुभव, ट्रैक रिकॉर्ड और कथित क्षमता महत्वपूर्ण कारक हैं।

मीडिया और अभियान संदेश-

☛ जिस तरह से मीडिया में उम्मीदवारों को चित्रित किया जाता है और उनके अभियान अपने संदेशों को कैसे संप्रेषित करते हैं, वह मतदाताओं की धारणाओं को भारी रूप से प्रभावित कर सकता है। सकारात्मक मीडिया कवरेज या सम्मोहक अभियान विज्ञापन, राय को आकार दे सकते हैं।

पहचान और प्रतिनिधित्व-

☛ मतदाता उन उम्मीदवारों की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो अपने लिंग, जातीयता, धर्म या अपनी पहचान के अन्य पहलुओं को साझा करते हैं। प्रतिनिधित्व मतदाताओं को यह महसूस करा सकता है कि उनकी चिंताओं को बेहतर ढंग से समझा और संबोधित किया जाएगा।

सामाजिक मुद्दे-

☛ एलजीबीटीक्यू+ अधिकार, नस्लीय समानता और पर्यावरण नीतियों जैसे सामाजिक मुद्दों पर उम्मीदवारों की स्थिति उन मतदाताओं के साथ गहराई से जुड़ सकती है जो इन मामलों को प्राथमिकता देते हैं।

जातिवाद-

☛ जातिवाद मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख तत्व रहा है। वैसे तो इस तत्व का प्रभाव भारतीय संघ के सभी राज्यों में है, लेकिन फिर भी बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और केरल में इस तत्व का प्रभाव अधिक है। इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण और आशावर्द्धक तथ्य यह है कि यदि चुनाव के अन्तर्गत कोई महत्वपूर्ण प्रश्न या विशेष समस्या सामने हो, तो फिर जाति के तत्व का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। 1971 के लोकसभा चुनाव, 1972 के विधानसभा चुनाव, 1977 के लोकसभा चुनाव और दिसम्बर 1984 व नवम्बर 1989 के लोकसभा चुनावों में यह वात देखी गयी।

आर्थिक स्थिति-

☛ व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। सामान्यतया यदि व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो मतदाता शासक दल के पक्ष में मतदान करते हैं; अन्यथा शासक दल के विरुद्ध इसी कारण शासक दल की यह चेष्टा रहती है कि चुनाव 'अच्छी कृषि' के वर्ष में हों। 1980 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की पराजय का एक प्रमुख कारण जनता की आर्थिक कठिनाइयां थीं, जिसके लिए उन्होंने जनता पार्टी और जनता 'एस' को उत्तरदायी माना ।

राजनीतिक स्थिरता और केन्द्र में सुद्रढ़ सरकार की आकांक्षा-

☛ भारतीय मतदाता सामान्यतया राजनीतिक स्थिरता और केन्द्र में सुद्रढ़ शासन चाहते हैं और 1977 के पूर्व तक उनके द्वारा कांग्रेस को समर्थन प्रदान किये जाने का यह एक प्रमुख कारण रहा 1977 में जब उन्हें यह विश्वास हो गया कि जनता पार्टी स्थायी शासन देने में समर्थ है तभी उनके द्वारा इस दल को सत्ता प्रदान की गयी। 1980 तथा 1984 के लोकसभा चुनावों में जनता द्वारा इन्दिरा कांग्रेस को भारी बहुमत प्रदान किये जाने का यह सबसे प्रमुख कारण था।

दलों की विचारधारा, कार्यक्रम और नीति-

☛ भारतीय मतदाता यद्यपि बहुत अधिक नहीं, लेकिन कुछ सीमा तक दलों की विचारधारा, कार्यक्रम और नीति से भी प्रभावित होते हैं। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा निषेधात्मक विचारधारा और कार्यक्रम के स्थान सकारात्मक विचारधारा और कार्यक्रम को पसन्द किया जाता है। 1971 के चुनाव में जनता ने 'गरीबी हटाओ' के कार्यक्रम को देखते हुए अपना मत दिया था और 1977 में उन्होंने महसूस किया कि जनता पार्टी अन्य बातों के साथ-साथ सकारात्मक आर्थिक कार्यक्रम रख रही है।

क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति-

☛ भारत के कुछ क्षेत्रों में क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति भी प्रबल है। पंजाब में अकाली दल 1967 से 1971 तमिलनाडु में डी. एम. के. और 1977 के चुनावों में अन्ना डी. एम. के. की सफलता इस क्षेत्रवादी प्रवृत्ति का परिचय देती प. बंगाल और केरल, आदि राज्यों में कुछ क्षेत्रीय दलों की सफलता का कारण भी यही है।

भाषाई स्थिति-

☛ भाषा का तत्व भी भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करता रहा है। 1967 और 1971 के चुनावों में डी. एम. के. ने हिन्दी विरोध के नाम पर समर्थन प्राप्त किया और 1977 के लोकसभा चुनावों में दक्षिण भारत में जनता पार्टी की असफलता का एक कारण यह रहा है कि दक्षिण भारत के व्यक्ति अब तक जनता पार्टी की भाषा नीति के सम्बन्ध में पूर्णतया आश्वस्त नहीं थे।

युद्ध में सफलता/असफलता-

☛ युद्ध में सफलता-असफलता भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। 1962 की असफलता का 1967 में कांग्रेस के भाग्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा और 1971 के युद्ध में प्राप्त सफलता ने 1972 के विधानसभा चुनावों में न कांग्रेस की सफलता को बहुत सरल कर दिया।

चुनाव में भारतीय मीडिया की भूमिका

☛ चुनावों के दौरान, भारतीय मीडिया एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में कार्य करता है जो उम्मीदवारों के साथ-साथ पार्टी के घोषणापत्र, राजनीतिक दलों के प्रचार अभियान और विशिष्ट उम्मीदवारों या पार्टियों के भविष्य के प्रचार के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मतदाता इस जानकारी का उपयोग किसी विशेष उम्मीदवार के चयन के बारे में निर्णय लेने के लिए कर सकते हैं। चुनावों के दौरान भारतीय मीडिया की प्रमुख भूमिकाएँ निम्नलिखित हैं:

- ❖ मीडिया विशिष्ट उम्मीदवारों या पार्टियों के बारे में जानकारी प्रदान करके जनता की राय को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधिकांश समय, चुनाव से पहले किसी विशिष्ट पार्टी या उम्मीदवार की नकारात्मक या सकारात्मक छवि बनाने के लिए राय कॉलम और टीवी बहसें आयोजित की जाती हैं। उम्मीदवारों या राजनीतिक नेताओं के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार लोगों या मतदाताओं को उस विशिष्ट नेता या पार्टी की धारणा को समझने में मदद करते हैं। इससे मतदाताओं के फैसले प्रभावित हो सकते हैं।
- ❖ चुनाव के दौरान भारतीय मीडिया एक प्रहरी की भूमिका निभाता है। किसी विशिष्ट उम्मीदवार या पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार गतिविधियों, कदाचार और सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करने की जांच चुनाव से पहले पत्रकारों द्वारा की जा सकती है। मीडिया की इन गतिविधियों ने पारदर्शिता के साथ-साथ जवाबदेही में सुधार करने में मदद की है, जो भारतीय चुनावों की अखंडता में सुधार के लिए आवश्यक हो सकता है। यह भारतीय लोकतंत्र में मतदान के अधिकार का उपयोग करके मतदाताओं को सही उम्मीदवार या नेता का चयन करने में भी मदद कर सकता है।

- विभिन्न भारतीय मीडिया चौनल भविष्य के चुनावों के परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए एग्जिट पोल आयोजित करना पसंद करते हैं। एग्जिट पोल वास्तविक समय के राजनीतिक रुझानों के बारे में जानकारी प्रदान करके मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा, मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया से अपडेट रहने में सहायता करना एक और भूमिका है जो भारतीय मीडिया भारतीय चुनावों के दौरान निभा रहा है।
- भारतीय मीडिया आम जनता के बीच चुनाव भागीदारी के महत्व को बढ़ावा देने के लिए अभियान आयोजित करता है। विभिन्न मीडिया चौनल भारतीय नागरिकों को चुनावों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में मतदाताओं को अपने अधिकारों या अपने वोट के महत्व के बारे में जानकारी नहीं है। भारतीय मीडिया पात्र मतदाताओं के साथ संवाद करने और उन्हें किसी विशिष्ट उम्मीदवार या पार्टी का चयन करने के लिए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के लिए विभिन्न माध्यमों या रणनीतियों का उपयोग करता है।
- विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों पर बहस और चर्चाओं की मेजबानी करने से मतदाताओं को भविष्य के राजनीतिक नेताओं के परिप्रेक्ष्य को समझने में मदद मिलती है। इसके विपरीत, मीडिया प्लेटफार्मों पर बहस और चर्चा के माध्यम से, आम लोग भविष्य में नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने के लिए मौजूदा सरकारों, नेताओं या भविष्य की सरकारों के साथ व्यक्तिगत राय और सुझाव भी साझा कर सकते हैं। आम लोगों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने से सरकार या राजनीतिक नेता को देश या क्षेत्र के सामाजिक कल्याण और विकास के लिए विभिन्न निर्णय लेने में मदद मिलती है।
- भारतीय मीडिया प्लेटफॉर्म वर्तमान सरकार और भविष्य के उम्मीदवारों को सार्वजनिक मुद्दों या आवश्यक कार्यों के बारे में जानकारी भी प्रदान करते हैं। इस जानकारी का उपयोग विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा भविष्य की विकास योजनाओं को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। भविष्य की विकास रणनीतियों या योजनाओं की मदद से, विभिन्न राजनीतिक दल या उम्मीदवार चुनाव के दौरान मतदाताओं को आकर्षित करने में सक्षम होंगे।
- विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म राजनीतिक दलों को प्रचार अभियानों के साथ-साथ मतदाताओं को प्रभावित करने के अभियानों को लागू करने के लिए भी जगह प्रदान करते हैं। ये रणनीतियाँ राजनीतिक दलों को मतदाताओं पर सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद कर सकती हैं, जो चुनाव जीतने के लिए आवश्यक है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए बनाए गए नियम

- चुनावों के दौरान समानता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने विशेष रूप से भारतीय मीडिया प्लेटफार्मों के लिए विशिष्ट नियम और कानून विकसित किए हैं। ये नियम चुनाव प्रक्रिया और अन्य राजनीतिक गतिविधियों को कवर करते समय मीडिया चौनलों को मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। ECI देश भर में चुनाव कराते समय स्थिति के अनुसार नियमों और विनियमों में बदलाव कर सकता है। यह बदलाव निम्न सन्दर्भों में देखा जा सकता है-

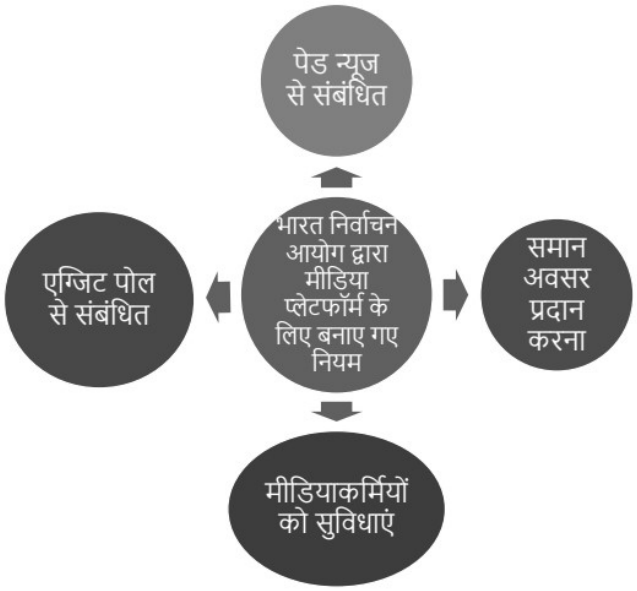

पेड न्यूज से संबंधित-

- पेड न्यूज को किसी भी पेड प्रचार गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो राजनीतिक दलों द्वारा प्रिंट और डिजिटल माध्यमों सहित विभिन्न मीडिया चौनलों का उपयोग करके किया गया है। मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति वह प्राधिकरण है जिसे भारत के चुनाव आयोग द्वारा पेड न्यूज प्रकाशित करते समय मीडिया और राजनीतिक दलों के कार्यों की निगरानी के लिए विकसित किया गया है। इस समिति की जिम्मेदारी है कि वह राजनीतिक समाचार कवरेज की निगरानी के लिए सभी मीडिया चैनलों की जांच करे और साथ ही संबंधित उम्मीदवारों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करे। यह समिति भारत भर में विभिन्न राजनीतिक दलों की पेड न्यूज की जांच करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर काम करती है। 2017 में, ईसीआई ने मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अगले तीन वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया क्योंकि उन्होंने 2008 के विधानसभा चुनावों के दौरान पेड न्यूज पर खर्च प्रकाशित नहीं किया था।

समान अवसर प्रदान करना-

☛ ईसीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, मीडिया प्लेटफार्मों को देश भर के सभी राजनीतिक दलों को वर्तमान और भविष्य की योजनाओं के बारे में संदेश और जानकारी जनता तक प्रसारित करने के लिए समान अवसर प्रदान करना चाहिए। इस नियम के माध्यम से, राजनीतिक दल प्रचार अभियानों को लागू करने के लिए मीडिया प्लेटफार्मों का समान रूप से उपयोग करते हैं। 2003 में, सरकार ने राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त राज्य दलों को समान प्रसारण समय प्रदान करने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन किया । यह योजना दूरदर्शन और आकाशवाणी पर लागू है। इस अधिनियम के अनुसार, सभी राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त राज्य दलों को सरकारी स्वामित्व वाले मीडिया पर अपने संदेश प्रसारित करने के लिए लगभग 45 मिनट का आधार समय आवंटित किया जाता है।

मीडियाकर्मियों को सुविधाएं-

☛ मीडिया पास और मीडिया सेंटर प्रमुख सुविधाएं हैं जो भारत निर्वाचन आयोग चुनाव के दौरान मीडियाकर्मियों को प्रदान करता है। ये सुविधाएं मीडिया कर्मियों को चुनाव संबंधी जानकारी को प्रभावी ढंग से कवर करने और प्रस्तुत करने में मदद करती हैं। हालाँकि, कवरेज उद्देश्यों के लिए मतदान केंद्रों में प्रवेश करने के लिए मीडियाकर्मियों के लिए ईसीआई द्वारा जारी एक वैध प्राधि कार पत्र आवश्यक है। मीडिया केंद्रों को देश के नागरिकों के बीच भारतीय चुनावों के बारे में जानकारी सफलतापूर्वक प्रसारित करने के लिए समग्र सुविधाओं वाले स्थानों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मीडिया केंद्रों में मीडिया कर्मियों के लिए विभिन्न सुविधाएं, जैसे टेलीफोन और फैक्स मशीन, साथ ही उपयुक्त फर्नीचर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इस स्थान पर, मीडियाकर्मी चुनाव पर सांख्यिकीय रिपोर्ट और संदर्भ उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों तक पहुंचने में सक्षम हैं।

एग्जिट पोल से संबंधित-

☛ एग्जिट पोल चुनाव के भविष्य के परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधियों में से एक है। चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए मीडिया कर्मी मतदाताओं से जानकारी एकत्र करके शोध करते हैं। यह ओपिनियन पोल से बिल्कुल अलग है. निजी मीडिया चौनल आम तौर पर देश भर में राजनीतिक रुझानों को समझने के लिए चुनाव से पहले जनमत सर्वेक्षण आयोजित करते हैं। ईसीआई ने भारतीय चुनावों के दौरान एग्जिट पोल के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न दिशानिर्देश और नियम प्रदान किए हैं। ईसीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, एग्जिट पोल एक विशेष अवधि के दौरान आयोजित किए जाने की आवश्यकता होती है। इसे मतदान अवधि के दौरान आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, ईसीआई यह भी सुनिश्चित करता है कि देश भर में मतदान की अवधि समाप्त होने से पहले एग्जिट पोल के नतीजे किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित नहीं किए जा सकें। एग्जिट पोल में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले सभी मीडिया प्लेटफार्मों को चुनाव आयोग के साथ पंजीकरण करने के साथ-साथ नियमों का पालन करना होगा। यह गतिविधि निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से एग्जिट पोल आयोजित करने में मदद करती है।

राजनीतिक दल

राजनीतिक दल क्या है ?

☛ राजनीतिक दल मूलत: ऐसे लोगों का समूह व संगठन है, जिसके सदस्य स्पष्ट समान सिद्धांतों व विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जिनका उद्देश्य व लक्ष्य स्पष्ट होता है। (अर्थात् विधायिका तथा सार्वजनिक पदों पर निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनावों के द्वारा अपने अपने सदस्यों को निर्वाचित करवाने के साथ सत्ता प्राप्ति करना, जिससे वह अपनी नीतियाँ व सिद्धांतों को क्रियान्वित करवा सकें।) साथ ही वह संवैधानिक तरीकों में अपनी आस्था रखते है और समाज और राज्य के बीच एक मार्ग का कार्य करते है।

राजनीतिक दल का प्रकार

राजनीतिक दल सामान्यत: तीन प्रकार की होती हैं जिसे एक आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है-

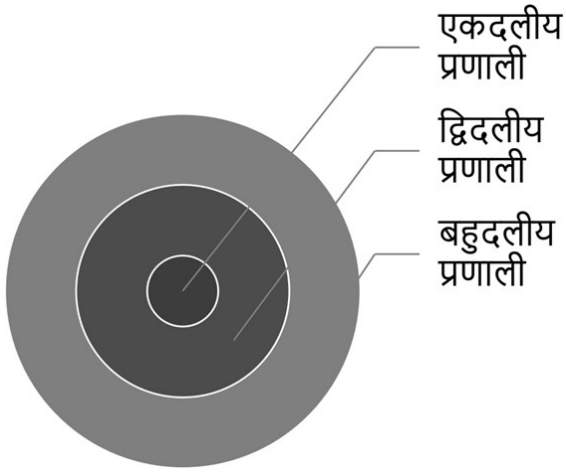

एकदलीय प्रणाली

☛ यह प्रतिस्पर्धा विहीन प्रणाली होती है। यहां, केवल एक पार्टी होती है जो उम्मीदवारों को नामांकित करती हैद्य हालाँकि मतदाताओं के पास केवल दो विकल्प (वोट दे या नहीं दे) होते हैं।

ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चीन, उत्तर कोरिया और क्यूबा जैसे साम्यवादी देशों में प्रमुख रूप से देखी जाती है। पूर्व सोवियत संघ के पतन से पहले यह व्यवस्था यहाँ भी प्रचलित थी।

द्विदलीय प्रणाली

☛ ऐसी शासन प्रणाली में, सत्ता दो प्रमुख दलों के बीच स्थानांतरित हो जाती है। इसलिए चुनाव जीतने के लिए विजेता को अधिक से अधिक वोट हासिल करने होते हैद्य यही कारण है कि ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जहाँ होती है वहां छोटी पार्टियाँ बड़ी पार्टियों के साथ विलय कर लेती हैं ताकि उसे बहुमत प्राप्त हो सके। कनाडा और ग्रेट ब्रिटेन में ऐसी शासन प्रणाली प्रचलित है।

बहुदलीय प्रणाली

☛ बहुदलीय प्रणाली सबसे आम प्रणाली है जो प्रायः कई देशों में देखी जाती है। ऐसी व्यवस्था में तीन या अधिक दल होते हैं जो अलग-अलग या गठबंधन में सरकार पर नियंत्रण हासिल करने की क्षमता रखते हैं। यदि कोई भी पार्टी विधायी सीटों का स्पष्ट बहुमत हासिल करने में असफल होती है, तो ऐसी स्थिति में कई पार्टियाँ एकजुट होकर गठबंधन सरकार की गठन करती हैं। भारत जैसे देश में बहुदलीय प्रणाली देखें जाते हैं।

राजनीतिक दल के कार्य

☛ राजनीतिक दल के निम्नलिखित कार्य हैं इसे एक आरेख द्वारा दर्शाया गया है-

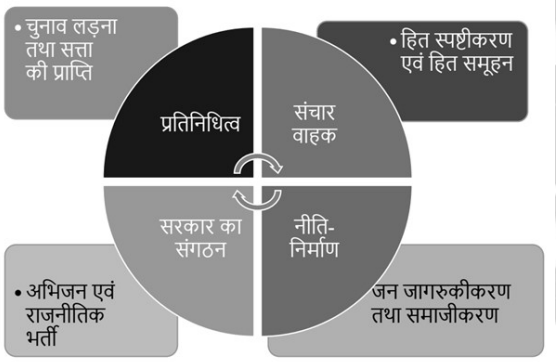

प्रतिनिधित्वः-

☛ जनता का प्रतिनिधित्व करना राजनीतिक दलों का प्राथमिक कार्य है। आधुनिक समाज, खासकर वर्त्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलित है। इसमें नागरिक शासन व्यवस्था के प्रत्येक कार्य में सहभागिता न कर अपने प्रतिनिधि चुनते है, जो उनके एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। सभी नागरिकों के पास सभी शासकीय कार्यों के लिए समय तथा उचित प्रशिक्षण नहीं है इसलिए संसद, विधानसभाओं में भी प्रतिनिधि उन नागरिकों के हितानुरूप कार्य करते हैं, जिन्होंने उन्हें चुनकर भेजा है। राजनीतिक दल भी एक बड़े प्रतिनिधि (एजेंट) के रूप में कार्य करते है। वह जनता के सामने अपनी विचारधारा, सिद्धांत व नीतियाँ रखते है और उसी आधार पर (अपने सदस्यों को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवार बनाकर) जनता से समर्थन व वैधता जुटाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल जन-शक्ति का प्रतिनिधित्व उन्ही के प्रतिनिधि बनकर करते है। इसी प्रतिनिधित्व को ही प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल बार-बार चुनाव के माध्यम से नागरिकों के बीच जाते है और वोट रुपी सहमति प्राप्त करने का प्रयास करते है, जिससे सत्ता प्राप्त की जा सकें।

चुनाव लड़ना तथा सत्ता की प्राप्तिः

☛ जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए सामान्यत दल चुनाव लड़ते है। अलग-अलग चुनावी-पद्धतियों में चुनाव भिन्न-भिन्न प्रकार के होते है। परन्तु चुनावी अभियान-चुनावी घोषणापत्र, चुनावी सभाएं आदि, जो हर चुनाव में समान रहता है, से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा निर्धारित की जाती है। प्रत्येक राजनीतिक दल सर्वाधिक विजयी होने वाले उम्मीदवार को चुनाव में प्रत्याशी व दल का उम्मीदवार बनाते है। कई राजनीतिक व्यवस्थाओं में दल ही चुनावों के औपचारिक संघर्षकर्त्ता होते है। मतदाताओं को दलों में से ही किसी दल को चुनना होता है परन्तु कई प्रसिद्ध व्यवस्थाओं में दल अपने सक्षम उम्मीदवार खड़े करते है, जिन्हें ही मतदाता चुनता है। अधिक संभावना यह रहती है कि उम्मीदवार राजनीतिक दल के जुड़ाव के कारण मत प्राप्त करता है। जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक संख्या में संसद व विधानमंडल की सीटें मिलती है, वह ही जनता से शासन व प्रतिनिधित्व करने की वैध सत्ता प्राप्त करता है और सरकार (शासन) चलाता है।

हित स्पष्टीकरण एवं हित समूहनः-

☛ राजनीतिक दलों का एक प्रमुख कार्य समाज में विद्यमान विभिन्न हितों को इकठ्ठा करना तथा उनके पूर्ण होने के लिए विधानमंडल के अन्दर व बाहर प्रयास करना है। इसी प्रक्रिया में वह विभिन्न माँगें (हित), जो नागरिक या नागरिक समूह उठाते है, उनकी सभी मांगों में से महत्त्वपूर्ण मांगों को पूर्ण करने का प्रयत्न (प्रदर्शन, सभा-आयोजन, संसद में समर्थन व विरोध के माध्यम से) राजनीतिक दल करते है। इससे नागरिक शासन व्यवस्था, राजनीतिक दलों से भी जुड़े रहते है और शासन व्यवस्था भी अच्छे मार्ग की ओर बढ़ती है।

संचार वाहक

☛ राजनीतिक दल 'शासक' व 'शासितों' के बीच पुल का कार्य करते है। राजनीति व्यवस्था में संचार का बड़ा महत्त्व है। राजनीतिक व्यवस्था में कई चरण होते है। इन चरणों में 'दो- तरफा संचार' राजनीतिक व्यवस्था को उचित रूप से संचालन के लिए अनिवार्य है और राजनीतिक दल वह मध्यस्थ बनते है, जिनके जरिए राजनीतिक दल, शासन को जनता तथा जनता को शासन से जोड़ते है। इससे शासन तृणमूल से अलग नहीं रहता और पर्याप्त जन-संचार के कारण शासन के निरंकुश होने का भय भी नहीं विद्यमान रहता।

नीति-निर्माण

☛ राजनीतिक दलों का एक प्रमुख कार्य नीति-निर्माण करना है। सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक दल विभिन्न सभाओं, चुनावी घोषणापत्रों में जनसमर्थन प्राप्त करने के लिए कुछ नीतियों, कार्यक्रमों की घोषणाएं करते है और सत्ता प्राप्त करने के पश्चात् वह उन नीतियों, कार्यक्रमों का निर्माण करते है, उन्हें क्रियान्वित करते है। विभिन्न हित-समूहों, नागरिकों द्वारा उठाई जाने वाली उचित व आवश्यक माँगों पर भी कार्यक्रम व नीतियाँ बनायी जाती है। साथ ही जब राजनीतिक दल सत्ता में न होकर विपक्ष की भूमिका निभाते है, तब वह सत्ताधारी पक्ष पर जनहितकारी नीतियों के निर्माण हेतु सत्ताधारी दल पर दबाव डालते है।

जन-जागरूकता तथा समाजीकरण

☛ जनता को जागरूक तथा उनके राजनीतिक समाजीकरण भी राजनीतिक दल करते है। कई दलों के वाद-विवादों, विमर्शों तथा चुनावी अभियान व राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के जरिए राजनीतिक दल जनता को शिक्षित, जागरूक करते है। राजनीतिक शिक्षा लोगों को प्रदान करते है, जिससे जनता राजनीतिक समस्याओं से अवगत हो तथा अपने अधिकारों व कर्त्तव्यों के बारे में जागरूक हो । राजनीतिक दल समय-समय पर विपक्षी दलों तथा सत्ताधारी दल के पक्ष-विपक्ष में लेख, पर्चे प्रकाशित करते रहते है जिससे विभिन्न मुद्दों पर राजनीतिक दलों के विचार, यथार्थ सभी तक पहुँचते रहे और नागरिक स्वयं निर्णय करे कि कौन सही है और कौन गलत। इस तरह वह एक व्यापक राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करते है। लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था में यह संस्कृति व उसके अनुरूप समाजीकरण लोकतांत्रिक रहता है, साम्यवादी देशों में साम्यवादी समाजीकरण रहता है। इस प्रकार मौलिक मूल्य तथा नियम राजनीतिक दल प्रत्येक व्यवस्था में उत्पन्न करते है, जिससे सही-गलत, नैतिक-अनैतिक को जनता पहचान सकें।

राजनीतिक भर्ती

☛ राजनीतिक दलों का एक कार्य भर्ती भी है। यह भर्ती प्राथमिक रूप से सदस्यों की भर्ती से सम्बंधित है और दल को सुसंगठित संचालन के लिए, जिन नेताओं की आवश्यकता पड़ती है, उनसे भी सम्बंधित है (अभिजन भर्ती)। सार्वजनिक पदों पर भर्ती के लिए दल के सदस्यों को प्रशिक्षित व तैयार किया जाता है, जिससे वह समय पर राज्य अथवा राष्ट्रीय राजनीति का नेतृत्व करने की क्षमता रखे, उनमें से उचित को चुना जा सकें। व्यवहार में, ऐसा संभव है कि किसी बाहरी व्यक्ति (संभवत: करिश्माई व्यक्तित्व) के हाथों में सीधे राजनीतिक नेतृत्व सौप दिया जाए। परन्तु ऐसा होने के लिए भी उस व्यक्ति को राजनीतिक दल की प्राथमिक सदस्यता लेनी ही पड़ती है। अत भर्ती व नेतृत्व-निर्माण दलों का अनिवार्य कार्य है।

सरकार का संगठन

☛ राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त कर सरकार बनाते है। सरकार बनाने के पश्चात् सरकार के संगठन के रूप भी वह दल कार्य करते है। वह दल सरकार की सहायता करते है तथा सरकार व दल के बीच स्थायित्व व सुसम्बद्धता बनाए रखते है। सामान्यत: सरकार के महत्त्वपूर्ण पदों पर राजनीतिक दल के ही महत्त्वपूर्ण सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। इसे विधायिका व कार्यपालिका, जो सरकार का महत्त्वपूर्ण अंग है, में देखा जा सकता है। इसके साथ ही, सत्ताधारी दल सरकार की नीतियों, सकारात्मक कार्यों आदि को जनता के बीच भी प्रचारित करता है। इससे सरकार की उपलब्धि यां जनता तक पहुँचती है और पुन: उस दल को सत्ता की प्राप्ति की संभावनाएं तैयार होती है।

भारत में दलीय व्यवस्था के गुण

दलीय प्रणाली में निम्नलिखित गुण पाये जाते हैं-

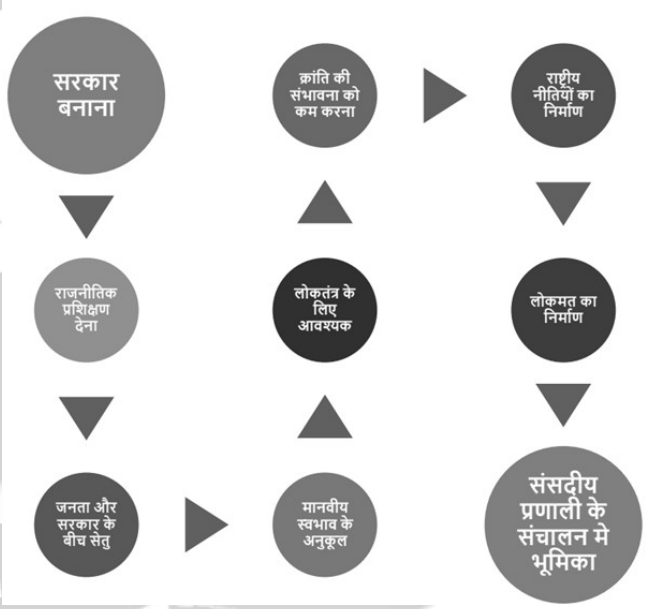

सरकार बनाना

☛ प्रत्येक राजनीतिक दल सत्ता मे भागीदारी के लिए गठित होता है। अत: अपनी सरकार बनाना उसका प्रथम कार्य है। इसके लिए वह जनकार्यक्रम और अपनी नीतियों का निर्धारण करता है। निर्वाचन मे भाग लेता है तथा व्यवस्थापिका मे आने के बाद यदि बहुमत है तब सरकार बनाने का कार्य करता है। यदि बहुमत नही है तब प्रतिपक्ष की भूमिका निभाता है।

राजनीतिक प्रशिक्षण देना

☛ राजनीतिक दलों का कार्य जनता को राजनीतिक कार्यों और घटनाक्रम से अवगत करना तथा अपने विचारों की दृष्टि से प्रशिक्षित करना है। इसके लिए वे साहित्य का निर्माण करते है, पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से अपना तर्क और दृष्टिकोण को रखते है। सभा, सम्मेलन, आन्दोलन आदि के माध्यम से भी जनता को सजग करते है।

जनता और सरकार के बीच सेतु

☛ सरकार जनता के लिए होती है, जनता भी यह अपेक्षा रखती है कि सरकार जनकल्याण के कार्य करेगी। जनता और सरकार के बीच सेतु का काम राजनीतिक दल करते है। राजनीतिक दल जनता की समस्याओं को और जनता की मांग को सरकार तक पहूँचाते है। इसी प्रकार राजनीतिक दल सरकार के कार्यों और उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाते है। केवल इतना ही नही वे उनका विश्लेषण भी करते है। दूसरी ओर जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए सरकार पर दबाव भी डालते है।

मानवीय स्वभाव के अनुकूल

☛ प्रकृति की भाँति ही विभिन्न व्यक्तियों के स्वभाव एवं विचारों में भी भिन्नता पाई जाती है। कुछ लोगों का स्वभाव उदारवादी होता है तो कुछ अनुदारवादी तो कुछ क्रांतिकारी और विद्रोही विचारों के विचारों एवं स्वभाव की यह विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा ही प्रकट हो सकती है। यही कारण है कि राजनीतिक दलों को मानवीय प्रकृति के अनुकूल कहा जा सकता है।

लोकतंत्र के लिए आवश्यक

☛ राजनीतिक दल लोकतंत्र के अनिवार्य अंग हैं, उनके अभाव में लोकतंत्र की सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राजनीतिक दल ही लोकतंत्र का संचालन करते हैं, वे चुनावों में भाग लेते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सरकार बनती है। इस प्रकार राजनीतिक दल लोकतंत्र के प्रहरी हैं।

क्रांति की संभावना को कम करना

☛ सत्ता के खिलाफ जनक्रांति तब होती है जब अपनी बात को शासन तक पहुँचाने के रास्तों को बंद कर दिया जाता है। राजनीतिक दल जन आक्रोश को प्रजातांत्रिक और संवैधानिक तरीकों से जो मूलत: शांतिमय होते है व्यक्त करते है और सरकार को बाध्य करते है कि वह जनता की भावना को महत्व देते हुए कार्य करें। ऐसा करने से जनता को एक संगठित मंच मिलता है जहाँ वह अपनी शिकायतों और परेशानियों को रख सकती है।

राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण

☛ राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करते है, राष्ट्र के आर्थिक, औधोगिक विकास की नीतियां जनकल्याण की नीतियां, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा, आवास आदि अहम मुद्दों पर अपनी नीतियों का निर्धारण करती है तथा उन्हें जनता तक पहुँचाती है। सरकार उनके आधार पर कार्य करती है।

लोकमत का निर्माण

☛ राजनीतिक दल लोकमत का निर्माण करते है। किसी प्रश्न पर जनता का रूख क्या होना चाहिए इसकी पहल राजनीतिक दल करते है। लोक शिक्षण का राजनीतिक दलों के कार्यों मे महत्वपूर्ण स्थान है। जनता के बिखरे हुए विचार राजनीतिक दलों के कारण संगठित रूप ले लेते है तथा किसी भी समस्या के सभी पहलुओं की जानकारी जनता को मिल जाती है।

संसदीय प्रणाली के संचालन मे भूमिका

☛ राजनीतिक दलों की अहम भूमिका संसदीय शासन प्रणाली के संचालन की है। निर्वाचन दलीय आधार पर होते है। दलीय आधार पर ही प्रत्याशी निर्वाचित होकर व्यवस्थापिका मे जाते है। व्यवस्थापिका मे जिस दल को बहुमत मिलता है वह सरकार बनाता है तथा अल्पमत प्राप्त राजनीतिक दल प्रतिपक्ष मे बैठता है। यदि राजनीतिक दल न हो तो व्यवस्थापिका को सदस्य पूरी तरह असंगठित और अनियंत्रित होंगे। ऐसे सदस्यों के साथ स्थायी मंत्रिमंडल बनाया ही नही जा सकता। राजनीतिक दल अपने सदस्यों को अनुशासित और संगठित रखते है तथा सरकार के निर्माण मे अथवा प्रतिपक्ष की भूमिका मे रचनात्मक सहयोग देते है।

दलीय प्रणाली के दोष

☛ दलीय पद्धति के जहाँ अनेक गुण हैं वहीं यह प्रणाली दोषों से भी मुक्त नहीं है।

एलेक्जेंडर पोप का तो मत है कि, जिस समाज में दलों का अस्तित्व है, वहाँ सच्ची समान्य इच्छा की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। भूतपूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति वाशिंगटन ने भी अपना मत व्यक्त करते हुए कहा है कि राजनीतिक दल लोकप्रिय शासन के सबसे बड़े शत्रु हैं। रूसो का मत है कि, सामान्य इच्छा या सच्चा लोकमत ऐसे देश में व्यक्त नहीं हो सकता जहाँ राजनीतिक दल या वर्ग विद्यमान हैं। इसी संदर्भ में हम यहाँ राजनीतिक दल के निम्नलिखित दोष की चर्चा कर रहे हैं-

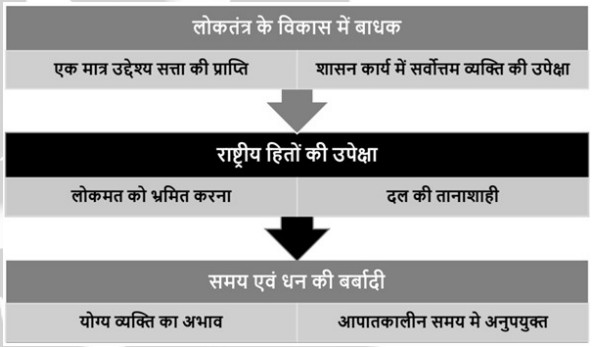

लोकतंत्र के विकास में बाधक

लोकतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थक है, किंतु राजनीतिक दल इस स्वतंत्रता का हनन कर लोकतंत्र में बाधक बन जाते हैं। राजनीतिक दल के सदस्यों को अपने व्यक्तिगत विचारों को त्यागकर सार्वजनिक क्षेत्र में दल के विचारों का समर्थन करना पड़ता है। इस प्रकार व्यक्ति दलीय यंत्र के चक्र का एक ऐसा भाग बन जाता है जो पहिये के साथ ही चलता रहता है।

एक मात्र उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति

☛ प्रजातंत्र मे राजनीतिक दलों की भूमिका को सम्मानीय स्थान प्राप्त है पर राजनीतिक दल उस स्थान को कामय नही रख पाते है। उनका कार्य राजनीतिक चेतना का विस्तार करना है पर उनके सामने येन-केन-प्रकारेण सत्ता प्राप्ति ही एक मात्र लक्ष्य हो जाता है और सभी कार्यक्रम उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आयोजित किए जाते है। इसके लिए मतदाताओं को कैसे भी अपने पक्ष मे करना यही कार्य करते रहते है।

शासन कार्य में सर्वोत्तम व्यक्ति की उपेक्षा

☛ दलीय प्रणाली के कारण देश के सर्वोत्तम व्यक्तियों की सेवा से देश वंचित रह जाता है राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधि ऐसे व्यक्तियों को चुनते हैं जो उनका अंधसमर्थन करें और दल के नेता की हाँ में हाँ मिलाएं, किंतु सर्वोत्तम व्यक्ति अपने विचारों को त्यागकर इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकते। अत: दल में योग्य व्यक्तियों की उपेक्षा होती है और अयोग्य व्यक्तियों को प्रशासन में उच्च स्थान मिल जाता है, फलस्वरूप समूचे प्रशासनिक स्तर में गिरावट आ जाती है।

राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा

☛ राजनीतिक दलों के कार्य राष्ट्रीय हितों के अनुकूल होना चाहिए पर दलीय प्रणाली मे कई बार राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा होती है। राजनीतिक प्रश्नों पर उनका नजरिया राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने वाला कम, जनता के बीच कटुता को बढ़ाने वाला अधिक होता है। नकारात्मक राजनीति नफरत की खाई को बढ़ाती है, जातीय मजहबी और साम्प्रदायिक राजनीति राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा पैदा करती है, राजनीतिक दलों को सत्ता प्राप्ति के लिए इन मुद्दों को लेकर टकराहट की चिंता नही रहती यह राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है।

लोकमत को भ्रमित करना

☛ किसी भी राष्ट्रीय मुद्दे पर जनता को समर्थन या विरोध करने के प्रश्न पर जैसी भी विभिन्न राजनीतिक दलों की नीति हो उसके अनुरूप दल कार्य करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है पर राजनीतिक प्रणाली का अवगुण यह है कि लोकमत को अपने पक्ष मे करने के लिए उचित-अनुचित का विचार किए बिना राजनीतिक दल कार्य करते है, जनता को गलत सूचनाएं देते है और गुमराह करते है। इसके परिणामस्वरूप जनता भ्रमित हो जाती है, जनता को वास्तविक सच्चाई का पता ही नही चलता।

दल की तानाशाही

☛ दलीय (राजनीतिक) प्रणाली दलीय अधिनायकतंत्र स्थापित करती है। राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को दल और उसकी नीतियों के विरोध मे अपने विचार जनता मे व्यक्त करने की स्वतंत्रता नही रहती। इसी प्रकार व्यवस्थापिका का सदस्य बनने के बाद उसे दल के अनुशासन मे रहना पड़ता है। सदन मे किस प्रस्ताव का समर्थन करना है और किस प्रस्ताव का विरोध करना है यह दल निश्चित करता है। दल की नीति के अनुसार ही सदन मे समर्थन या विरोध सदस्य करते है। इस रूप मे देखे तो सदस्य अपनी पार्टी की कठपुतलियाँ होते है, विचारों को व्यक्त करने की उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। यदि सदस्य पार्टी द्वारा स्वीकार की गई लाइन से हटकर कुछ कहने की सोचता भी है तो उसे दल की अवज्ञा करने वाला माना जाता है और उसके विरोध मे अनुशासत्मक कार्यवाही की जाती है।

समय एवं धन की बर्बादी

☛ कई दलों के कारण विधानमंडल के भीतर बहुत समय वाद-विवादों मे नष्ट किया जाता है। इससे देश का बहुमूल्य समय और धन बर्बाद होता है।

योग्य व्यक्ति का अभाव

☛ दलीय प्रणाली से देश, योग्य व्यक्तियों की सेवा से वंचित रह जाता है। यदि कोई व्यक्ति योग्य है परन्तु वह विरोधी दल मे है, तो ऐसे में सत्तारूढ़ दल उनके अच्छे से अच्छे परामर्श को भी ठुकरा देता है।

आपातकालीन समय मे अनुपयुक्त

☛ दलीय प्रणाली सामान्य समय मे तो जनता को बाँटती ही है। आपातकाल मे भी राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों पर जनता को एकमत नही होने देती। यद्यपि कुछ देशों मे यह स्थिति नही है उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन मे राष्ट्रीय संकट के समय सभी मतभेद भुलाकर सब एक हो जाते है तथापि यह समस्या भारत, श्रीलंका आदि देशों मे अधिक पाई जाती है। भारत मे तो चीन के आक्रमण के समय भी पूरा देश एक मत और एक स्वर से अभिप्राय के विरोध मे खड़ा नही हो सका। यही स्थिति विदेश नीति के संबंध मे भी आती हैं।

दलों में आंतरिक लोकतंत्र के बारे में-

☛ राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को अंत: दलीय लोकतंत्र भी कहा जाता हैं इसका तात्पर्य किसी राजनीतिक दल के ढांचे के भीतर निर्णय लेने और विचार-विमर्श करने में दल के सदस्यों को शामिल करने के स्तरों एवं तरीकों से है।

☛ इससे नागरिकों की राजनीतिक दक्षताओं को विकसित करने एवं अधिक सक्षम प्रतिनिधियों को तैयार करने में सहायता मिलती है। इससे राजनीतिक दल बेहतर नीतियों और राजनीतिक कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं।

☛ भारत में, संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जो राजनीतिक दलों के आचरण को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करता हो।

☛ इस संदर्भ में, केवल लोक प्रतिनिधित्व 1851 की धारा 29(ए) राजनीतिक दलों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाती है।

☛ भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के पास भी राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली को विनियमित करने के लिए पर्याप्त शक्तियां नहीं है।

भारत में दलों में आंतरिक लोकतंत्र की आवश्यकता	दलों में आंतरिक लोकतंत्र स्थापित करने में चुनौतियां
• राजनीति में भाग लेने और चुनाव लड़ने के लिए समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। • वंशवाद की राजनीति को रोकना: राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र की कमी के कारण दलों में भाई-भतीजावाद को बढ़ावा मिला है। • राजनीतिक दलों को मिलने वाले फंड का रख-रखाव करने में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, ऐसा करके धन और शक्तिशाली लोगों के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। • सत्ता का विकेंद्रीकरण : इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और निर्णय लेने में आसानी होगी। • राजनीति के अपराèीकरण को कम करना।	• निर्वाचन आयोग के पास अपर्याप्त शक्ति: 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर और अन्य', 2002 बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि पंजीकृत राजनीतिक दलों द्वारा आंतरिक-दलीय लोकतंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करने पर निर्वाचन आयोग उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता है। • एक विश्वसनीय विनियामक ढांचे का अभाव : ऐसा कोई कानूनी उपाय नहीं है, जिसके आधार पर राजनीतिक दलों के भीतर चुनाव अनिवार्य किए जा सकें। • सख्त दल-बदल विरोधी कानून : दल-बदल विरोधी अधिनियम, 1985 के अनुसार राजनीतिक दल के सांसदों/विधायकों के लिए अपने दल के ब्हिप के अनुसार कार्य करना आवश्यक है। यह अधिनियम उन्हें संसद और राज्य विधानमंडलों में अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के अनुसार मतदान करने से रोकता है। • वंशवाद, जाति और धर्म आधारित दलों द्वारा विरोध: अधिकांश दल स्पष्ट तौर पर जाति-आधरित या धर्म-आधारित हैं और उनके वित्तीय लेन-देन भी संदिग्ध एवं अपारदर्शी हैं। • दलों में अभिजात्यवाद : किसी राजनीतिक दल में नेतृत्व ज्यादातर उस दल के पदाधिारियों के एक समूह द्वारा निèार्ारित किया जाता है। ये पदाधिकारी दल के प्रशासन पर हावी होते हैं।

आगे की राह

☛ **दलों को संवैधानिक दर्जा : उदाहरण के लिए :** जर्मनी में राजनीतिक दलों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। वहां के कानून के अनुसार, दलों के आंतरिक संगठन को लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए।

☛ **उचित नियम :** राजनीतिक दल के अलग-अलग स्तरों पर संगठनात्मक चुनावों, ऐसे चुनावों के बीच की समय-सीमा ताा दल के पदाधिकारियों के पद की शर्तों के संबंध में दल के संविधान/नियमों एवं विनियमों में विशेष प्रावधान होने चाहिए।

☛ **नेतृत्व संबंधी पदों के लिए आंतरिक चुनाव :** इसे दल के सदस्यों के बीच वाद-विवाद, अभियान, बैठकों और चर्चाओं के माध्यम से संपन्न किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों के भीतर एक उत्तरदायी निकाय इस उद्देश्य को पूरा कर सकता है।

उदाहरण के लिए - यूनाइटेड किंगडम (UK) में कंजर्वेटव पार्टी में एक केंद्रीय परिषद् (Central Council) और एक कार्यकारी समिति (Executive Committee) होती है। ये अपनी वार्षिक बैठक में अपने सभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती हैं।

☛ निर्वाचन आयोग को नियमों का पालन करने में विफल रहने वाले दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति दी जानी चाहिए।

☛ राज्य द्वारा राजनीतिक दलों का वित्त पोषण दलों के बीच समानता और जवाबदेही ला सकता है।

☛ वभिन्न समितियों के सुझावों को लागू करना :

❖ दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति जैसे समितियों ने देश में राजनीतिक दलों की अधिक पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए मजबूत तर्क दिए हैं।

❖ राजनीतिक दल (पंजीकरण और गतिविधियों का विनियमन, 2011 (प्रारूप) का उद्देश्य चुनाव में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों के संविधान, कार्यप्रणाली, वित्त पोषण, लेखाओं एवं लेखा परीक्षा तथा अन्य मामलों की विनियमित करना है।

❑❑❑

भारत में राजनीतिक दल

☛ सामान्यत: भारत एक बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश है जिसमें राजनीतिक दलों के प्रकार को दो रूपों में देखा जा सकता हैं। इसे आसानी से समझने के लिए एक आरेख द्वारा निरूपित किया गया है–

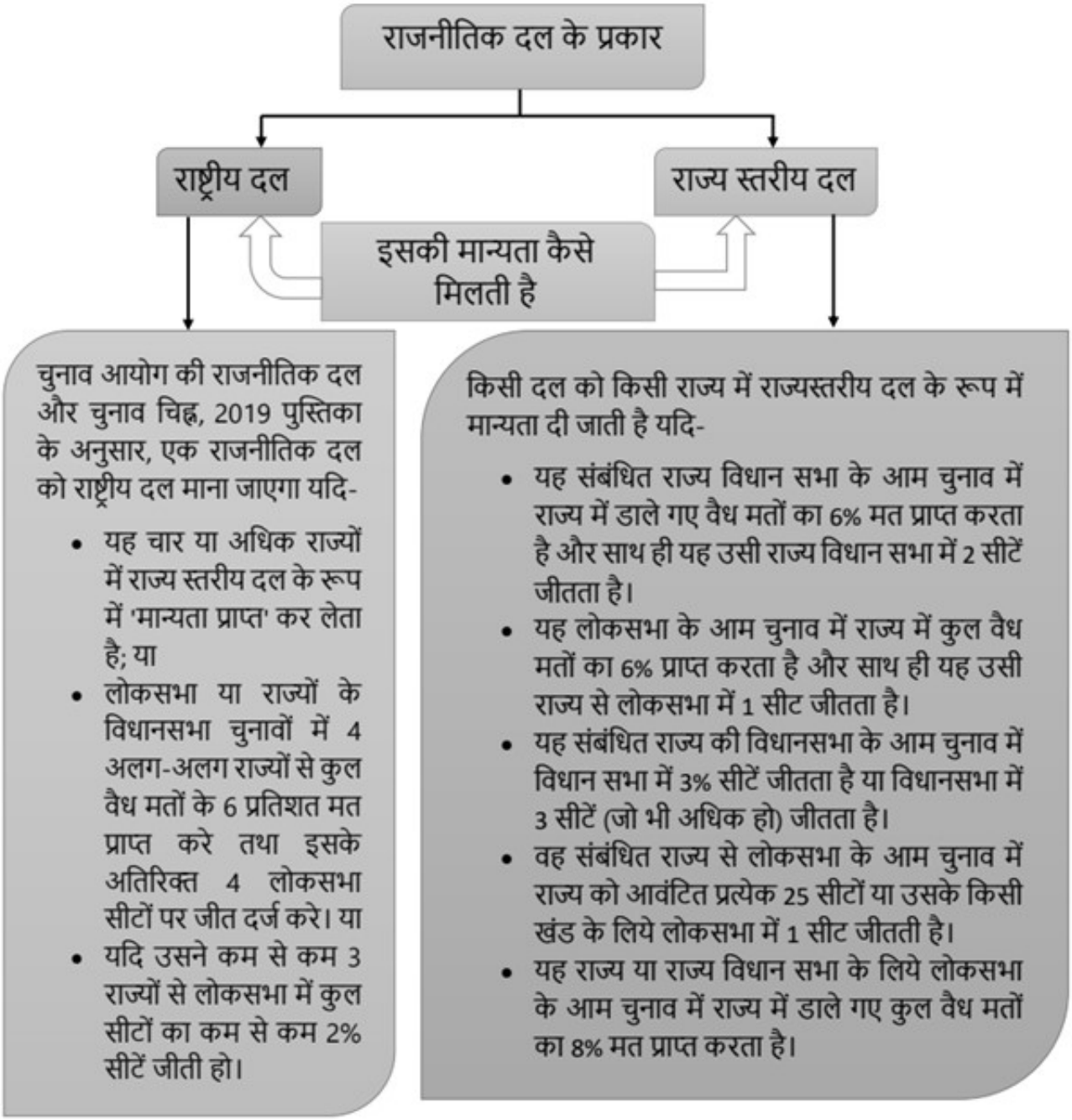

राष्ट्रीय दल/राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिलने पर दलों का महत्त्व

☞ **राष्ट्रीय दल/राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिलने पर दलों का महत्त्व को निम्नलिखित बिन्दुनुसार दर्शाया गया है-**

- ❖ आयोग द्वारा दलों को प्रदान की गई मान्यता उनके लिये कुछ विशेषाधिकारों का निर्धारण करती है, जैसे चुनाव चिह्न का आवंटन, राज्य नियंत्रण, टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण हेतु समय का उपबंध एवं निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा।
- ❖ इन दलों को चुनाव के समय 40 स्टार प्रचारक (पंजीकृत-गैर-मान्यता प्राप्त दलों को 20 स्टार प्रचारक) रखने की अनुमति प्राप्त होती है।
- ❖ प्रत्येक राष्ट्रीय दल को एक चुनाव चिह्न प्रदान किया जाता है जो पूरे देश में विशिष्टत: उसी के लिये आरक्षित होता है। यहाँ तक कि उन राज्यों में भी जहाँ वह चुनाव नहीं लड़ रही है।
- ❖ एक राज्य स्तरीय दल के लिये आवंटित चुनाव चिह्न विशेष रूप से उस राज्य में इसके उपयोग के लिये आरक्षित है जिसमें इसे मान्यता प्राप्त है।

भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या

☞ 2023 में, भारत में छह राष्ट्रीय पार्टियाँ, 56 से अधिक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टियाँ और 2796 गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियाँ हैं।

भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों की सूचि

क्र.सं.	राष्ट्रीय दल	स्थापना वर्ष	संस्थापक
1.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	1885	• ए ओ ह्यूम • दादा भई नौरोजी • दिनशा वाचा
2.	भारतीय जनता पार्टी	1980	• अटल बिहारी वाजपेई • लाल कृष्ण आडवाणी
3.	बहुजन समाज पार्टी (BSP)	1984	काशीराम
4.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी - मार्क्सवादी (CPM)	1964	• ज्योति बसु • हरकिशन सिंह सुरजीत • EMS नंबूदरी
5.	नेशनल पीपुल्स पार्टी(NPP)	2013	P.A. संगमा
6.	आम आदमी पार्टी(AAP)	2012	• अरविंद केजरीवाल • प्रशांत भूषण • योगेंद्र यादव • शाजिया इल्मी इत्यादि

हाल ही में राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त किये जाने वाली पार्टी :-

☞ सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC),

☞ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI),

☞ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP)

❑❑❑

क्षेत्रीय दल

क्षेत्रीय दल क्या है ?

☛ क्षेत्रीय दल वे होते हैं जिनका प्रभाव पूरे देश में न होकर कुछ निश्चित क्षेत्रों में होता है। जैसे- शिरोमणि अकाली दल, नेशनल कांफ्रेंस, डी. ऐम. के, अन्ना डी.ऐम.के, तेलुगू देशम, असम गण परिषद, झारखंड मुक्ति मोर्चा, मिजोरम नेशनल फ्रंट, नागा नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, मणिपुर पीपुल्स पार्टी, महाराष्ट्र गोमातक पार्टी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, सिक्किम संग्राम परिषद आदि।

राज्यों के प्रमुख क्षेत्रीय दलों के नाम

☛ राज्यों के प्रमुख क्षेत्रीय दलों के नामों की एक तालिका के रूप में दर्शाया गया है-

राज्यों के प्रमुख क्षेत्रीय दलों के नाम

क्र.सं.	क्षेत्रीय दलों के नाम	स्थापना वर्ष	संस्थापक	राज्य
1.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	1964	ई.एम.एस. नम्बूदरीपाद ज्योति बसु हरकिशन सिंह सुरजीत	केरल
2.	बहुजन समाज पार्टी	1984	कांशीराम	उत्तर प्रदेश
3.	सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस		ममता बनर्जी	पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय
4.	जनता दल (यूनाइटेड)	2003	शरद यादव नीतीश कुमार	बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर
5.	जनता दल (सेक्युलर)	1999	एच.डी. देवेगौड़ा	कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश
6.	समाजवादी पार्टी	1993	मुलायम सिंह यादव	उत्तर प्रदेश
7.	राष्ट्रीय जनता दल	1997	लालू प्रसाद यादव	बिहार, झारखण्ड
8.	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी	1999	शरद पवार पी० ए० संगमा तारिक अनवर	महाराष्ट्र, नागालैण्ड
9.	तेलुगु देशम पार्टी	1982	नन्दमूरि तारक रामाराव	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
10.	ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन	1957	अब्दुल वहाद ओवैसी	तेलंगाना
11.	लोक जनशक्ति पार्टी	2000	रामविलास पासवान	बिहार
12.	राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	2013	उपेन्द्र कुशवाहा	बिहार
13.	भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी- लेनिनवादी) लिबरेशन			बिहार
14.	आम आदमी पार्टी	2012	अरविंद केजरीवाल	दिल्ली, पंजाब

भारत में क्षेत्रीय दलों की विशेषताएं

☛ भारतीय क्षेत्रीय पार्टी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं इसे बिन्दुवार दर्शाया गया है–

- ❖ यह आम तौर पर एक विशिष्ट राज्य या विशिष्ट क्षेत्र के भीतर संचालित होता है। इसका चुनावी आधार एक क्षेत्र तक ही सीमित होता है।
- ❖ यह क्षेत्रीय हितों को स्पष्ट करता है और खुद को एक विशेष सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई या जातीय समूह के साथ पहचानता है।
- ❖ यह मुख्य रूप से असंतोष के स्थानीय संसाधनों का दोहन करने या भाषा, जाति या समुदाय या क्षेत्र के आधार पर विभिन्न मौलिक मांगों को संरक्षित करने से संबंधित है।
- ❖ यह स्थानीय या क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है और इसका उद्देश्य राज्य स्तर पर राजनीतिक सत्ता हासिल करना है। इसका केंद्र सरकार के विस्तार और नियंत्रण में कोई झुकाव नहीं है।
- ❖ इसकी भारतीय संघ में राज्यों की अधिक क्षेत्रीय स्वायत्तता की राजनीतिक इच्छा है।

भारत में क्षेत्रीय दलों का वर्गीकरण

☛ भारत में विभिन्न क्षेत्रीय दलों को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता हैं जिसे एक आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है–

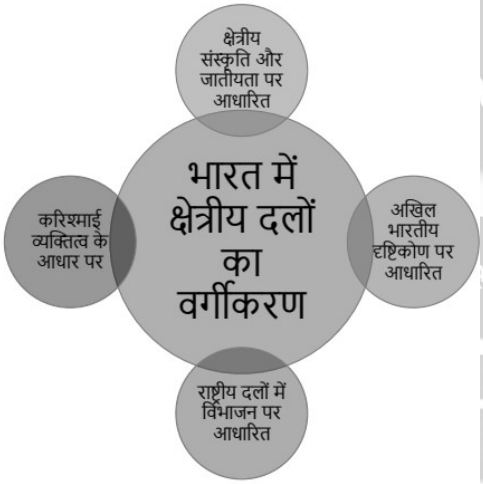

क्षेत्रीय संस्कृति और जातीयता पर आधारित

☛ वे क्षेत्रीय पार्टियाँ जो क्षेत्रीय संस्कृति और जातीयता पर आधारित हैं। इनमें शिरोमणि अकाली दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डीएमके, एआईएडीएमके, तेलुगु देशम, शिव सेना, असम गण परिषद, मिजो नेशनल फ्रंट, झारखंड मुक्ति मोर्चा आदि शामिल हैं।

अखिल भारतीय दृष्टिकोण पर आधारित

☛ वे क्षेत्रीय दल जिनका दृष्टिकोण अखिल भारतीय है लेकिन राष्ट्रीय चुनावी आधार का अभाव है। इसके उदाहरण हैं इंडियन नेशनल लोकदल, ऑल-इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी इत्यादि ।

राष्ट्रीय दलों में विभाजन पर आधारित

☛ वे क्षेत्रीय दल जिनका गठन राष्ट्रीय दलों में विभाजन से हुआ है। उदाहरण के लिए, बांग्ला कांग्रेस, तेलंगाना प्रजा समिति, तृणमूल कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस वगैरह।

करिश्माई व्यक्तित्व के आधार पर

☛ वे क्षेत्रीय पार्टियाँ जिनका गठन व्यक्तिगत नेताओं ने अपने करिश्माई व्यक्तित्व के आधार पर किया है। इन्हें व्यक्तिगत पार्टियाँ कहा जाता है और ये अल्पकालिक होती हैं। इसके उदाहरण लोक जनशक्ति पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी, हिमाचल विकास कांग्रेस आदि हैं।

क्षेत्रीय दलों के उदय के लिए जिम्मेदार कारक

☛ भारत में क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व का इतिहास बहुत पुराना है। पंजाब में 1920 से अकाली दल की क्षेत्रीय राजनीति चलती आ रही है। 1949 में, तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दल का गठन किया गया था। पहला मुस्लिम सम्मेलन कश्मीर में स्थापित किया गया था। आजादी के बाद से क्षेत्रीय दलों की संख्या बहुत बड़ी है। क्षेत्रीय दलों के उदय के मुख्य कारण इस प्रकार हैं।

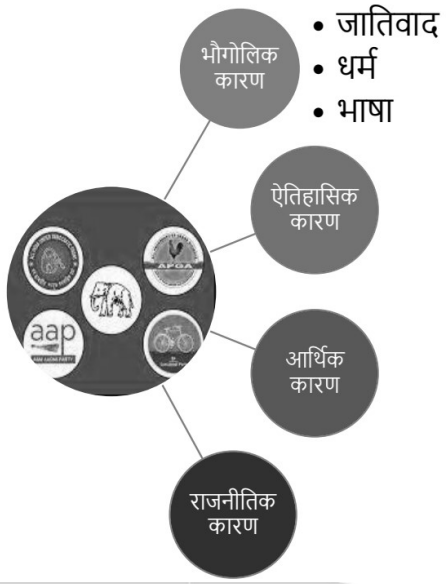

भौगोलिक कारण

☛ भारत एक बहुत बड़ा देश है। इसकी भौगोलिक संरचना में अंतर हैं। आजादी के बाद जब राज्यों का फिर से गठन किया गया, तो राज्यों की पुरानी सीमाओं को नहीं भुलाया गया, लेकिन नए राज्यों के लिए सीमाओं को फिर से बनाने का आधार बनाया गया।

☛ इस भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कुछ क्षेत्रों को देश के अन्य क्षेत्रों से अलग कर दिया गया। परिणामस्वरूप, एक राज्य में रहने वाले लोगों में एकता की भावना नहीं उत्पन्न हो सकी। परिणामस्वरूप, जो राष्ट्र की मुख्यधारा से अलग हो गए, वहां क्षेत्रीय दलों का उदय होना स्वाभाविक था। जैसे हिल्स पीपुल्स यूनियन और सिक्किम संग्राम परिषद जैसे दलों के उदय के लिए भौगोलिक कारक ही जिम्मेदार हैं।

जातिवाद

☛ भारत में कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का ही नहीं बल्कि कई नेताओं का उदय और पतन भी जाति के कारण हुआ है। क्योंकि भारत में विभिन्न जातियों और उप-जातियों के लोगों का निवास है। परिणामस्वरूप, कई नेता, जातिगत समर्थन के आधार पर, अपना महत्व बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय दलों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में डी. ऐम. के. (D.M.K.) और अन्ना डी.ऐम.के. (A.D.M.K.) ब्राह्मण या गैर-ब्राह्मण समूह हैं। वही उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का आधार भी जातिवाद ही है।

धर्म

☛ क्षेत्रीय दलों के गठन में धर्म भी एक महत्वपूर्ण कारक है। जब किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोग किसी विशेष धर्म के लोगों के प्रति ईर्ष्या करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनमें राजनीतिक आकांक्षाएं आसानी से विकसित हो जाती हैं। यह समर्थन के आधार पर है कि कई लोग अपने स्थायी महत्व को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय दलों का गठन करते हैं। जैसे तमिलनाडु डी. ऐम. के. और अन्ना डी. ऐम.के. गैर ख्र ब्राह्मणी दल हैं।

भाषा

☛ जातिवाद और धर्म की तरह, भाषा ने भी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में कई भाषाएँ बोली जाती हैं। भारतीय संविधान के अनुसार, 22 भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। लेकिन भाषा के मतभेदों ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। भारत में क्षेत्रवाद से जुड़े कई सवाल भाषा विवाद के इर्द-गिर्द घूमते हैं। नॉर्मन डी. पाल्मर के अनुसार, ''भारत की अधिकांश क्षेत्रीय राजनीति, भाषा के सवाल के इर्द-गिर्द घूमती है।'' एक भाषा बोलने वाले लोगों में क्षेत्रीय भावनाओं को विकसित करने की शक्ति है।

☛ क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के विकास में इन भावनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उदाहरण के लिए, आन्ध्रप्रदेश में, भाषाई रचनाओं ने तेलुगू देशम जैसी पार्टी के विकास में बहुत योगदान दिया है।

ऐतिहासिक कारण

☛ क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय में इतिहास का दोहरा सहयोग सकारात्मक और नकारात्मक रहा है। जहाँ शिवसेना को सकारात्मक योगदान के रूप में देखा जाता है वहीं द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को नकारात्मक योगदान के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। क्योंकि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का कहना है कि प्राचीन काल से ही उत्तरी राज्यों ने दक्षिणी राज्यों पर शासन किया है।

आर्थिक कारण

☛ क्षेत्रीय दलों के उदय में आर्थिक कारणों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने जिस तरह से विकास किया है, उसमें बहुत असमानता है। कुछ क्षेत्र अधिक विकसित हुए हैं और कुछ क्षेत्र कम विकसित हुए हैं। इसका कारण यह है कि सत्ता में रहने वालों ने अपने क्षेत्रों के विकास पर अधिक ध्यान दिया है। उन्होंने अपने संसाधनों के विकास पर अधिक ध्यान दिया। इसलिए, इन सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीयता की भावना जागृत हुई और परिणामस्वरूप क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ।

राजनीतिक कारण

☛ राजनेताओं ने क्षेत्रीय दलों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे कई राजनेता हैं जिनके पास सत्ता नहीं है, वे अपने अस्तित्व को बनाए रखने और अपने स्वार्थों के लिए क्षेत्रीय भावनाओं का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, राजनीतिक दलों के आंतरिक शक्ति संघर्ष के कारण, पार्टी के नेता अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय भावनाओं का उपयोग करते हैं। परिणामस्वरूप, कई राजनेता अपनी राजनीतिक महत्वकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय दलों का गठन करते हैं।

क्षेत्रीय दलों की भूमिका

☛ **भारत में क्षेत्रीय दलों की भूमिका को दो संदर्भ में देखा जा सकता हैं**- सकारात्मक और नकारात्मक

सकारात्मक प्रभाव

- ❖ सहभागिता के दायरे को बढ़ाकर लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना।
- ❖ क्षेत्रीय स्तर पर और विशेष रूप से उपेक्षित क्षेत्रों में बेहतर प्रशासन प्रदान करके।
- ❖ क्षेत्रीय दलों ने जनजातियों की मांगों को सामने रखते हुए मिजो नेशनल फ्रंट जैसे स्थानीय मुद्दों के बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए एक स्थान प्रदान किया है।
- ❖ क्षेत्रीय दलों ने राज्य को आवाज और सौदेबाजी की शक्तियां प्रदान करके भारतीय लोकतंत्र की संघीय धुरी को भी मजबूत किया है।
- ❖ क्षेत्रीय दलों ने राजनीतिक प्रक्रिया को अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया है और नेतृत्व की भूमिका को केवल प्रमुख दलों के चंगुल से बाहर निकाला है।
- ❖ क्षेत्रीय दलों ने वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, खासकर कांग्रेस काल को चुनौती दी है और इस तरह एक पार्टी के एकाधिकार को तोड़ने में मदद करता है।
- ❖ क्षेत्रीय दलों ने मतदाताओं के लिए विकल्पों को व्यापक बनाने में भी मदद की है। अब एक मतदाता पार्टी को अपने राज्य के हित का प्रतिनिधित्व करते हुए वोट दे सकता है।
- ❖ क्षेत्रीय दलों के प्रयासों के कारण लोगों की राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है, वे संकीर्ण और स्थानीय सामाजिक मुद्दों को देखते हैं और उन्हें जनता के सामने लाते हैं। इसलिए जनता के बीच अधिक राजनीतिक चेतना पैदा करना।
- ❖ क्षेत्रीय दलों ने अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व के लिए एक आधार प्रदान किया हैं, इस प्रकार यह लोकतंत्र को सफल बनाता हैं। हालाँकि लोकतंत्र का उद्देश्य बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों को समान प्रतिनिधित्व देना है।

- ❖ क्षेत्रीय दल सत्ता में पार्टी के अत्याचार को रोकने में भी मदद करते हैं। एक पार्टी के रूप में जो केंद्र और राज्य दोनों में सत्ता में है, तानाशाही और पूर्वाग्रहपूर्ण रवैया अपना सकती है।
- ❖ क्षेत्रीय दलों ने अपने क्षेत्रों के लिए लाभ के बदले में अन्य दलों को समर्थन प्रदान करके गठबंधन की राजनीति के समय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

क्षेत्रीय दलों के नकारात्मक प्रभाव

☛ **क्षेत्रीय दलों के गठन से जुड़े कुछ नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार हैं**

- ❖ क्षेत्रीय दल संकीर्ण क्षेत्रीय हितों के कारण राष्ट्रीय हितों को कम करके आंका है, इस प्रकार राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुँचाया है।
- ❖ राष्ट्रीय दलों के विखंडन से सरकार में अस्थिरता आई है। क्षेत्रीय दलों ने भाषा, जाति, जनजाति और अन्य जातीय कारकों के आधार पर राज्यों के विभाजन की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है।
- ❖ क्षेत्रीय दल अपने मतदाता आधार को बढ़ाने के लिए, विभिन्न राज्यों द्वारा लगातार ऋण माफी जैसी लोकलुभावन नीतियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, यह बदले में, अर्थव्यवस्था में राजकोषीय संतुलन को नुकसान पहुंचाता है। इससे देश के राजकोषीय घाटे का विस्तार भी होता है।
- ❖ क्षेत्रीय दलों द्वारा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व करने से जनता के बीच अलगाववादी प्रवृत्ति बढ़ती है।
- ❖ क्षेत्रीय दलों के उदय ने राजनीति को गला काट प्रतियोगिता बना दिया है, इसलिए राजनीतिक शक्ति हासिल करने के लिए धन और बाहुबल की शक्ति जैसे अतार्किक साधनों का अधिक से अधिक उपयोग करना चुनाव के दौरान विभिन्न भारतीय राज्यों में हिंसा के संदर्भ में इसे देखा जा सकता है।
- ❖ राजनीति में भ्रष्टाचार का उदय भी इससे जुड़ा हो सकता है, क्योंकि सत्ता का विस्तार भ्रष्टाचार के अपराधी को खोजने के लिए कठिन बनाता है। क्षेत्रीय दल अंतर्राज्यीय विवादों के समाधान के साथ-साथ अंतरराज्यीय जल विवादों में भी बाधा डालते हैं। इस प्रकार यह समग्र रूप से सहकारी संघवाद और राष्ट्र के कल्याण को कम करता है।
- ❖ क्षेत्रीय दल भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार, पक्षपात और अन्य कुप्रथाओं में भी शामिल रहता हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान की भावना जिसमे बंधुत्व का उल्लेख लिया गया है, को कम करता है।
- ❖ क्षेत्रीय दल विदेशी संधियों और नीतियों के समय पर कार्यान्वयन में भी बाधा डालते हैं। उदाहरण के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ भारत सरकार की जल बँटवारे की व्यवस्था के खिलाफ पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का लगातार हस्तक्षेप ।

❑❑❑

चुनाव आयोग

➢ **बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थिति की समीक्षा करें**

☛ भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग की स्थापना और उसकी शक्तियों का प्रावधान है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है, जिसका कार्य भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करना है। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 25 जनवरी, 1950 को हुई थी।

☛ मूल रूप से, चुनाव आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त होता था। लेकिन, 16 अक्टूबर, 1989 को चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम, 1989 के द्वारा चुनाव आयोग को एक बहु-सदस्यीय निकाय बना दिया गया। 16 अक्टूबर, 1989 को पहली बार दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई, लेकिन उनका कार्यकाल केवल एक महीने का था। 1 अक्टूबर, 1993 को दो और चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए और तब से चुनाव आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय बन गया है। तब से, चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं।

➢ **बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थिति**

☛ बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थिति महत्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, चुनाव आयोग के सभी कार्यों का नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त करता है। वह आयोग के कार्यों के लिए अंततः जिम्मेदार होता है।

☛ बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग में, मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थिति अन्य चुनाव आयुक्तों की तुलना में कुछ विशेषताओं के कारण महत्वपूर्ण हो जाती है। इन विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ❖ **नियुक्ति:** मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जबकि, अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर की जाती है।
- ❖ **कार्यकाल:** मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक होता है। जबकि, अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है।
- ❖ **पद से हटाने का तरीका:** मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। जबकि, अन्य चुनाव आयुक्तों को पद से केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

☛ इन विशेषताओं के कारण, मुख्य चुनाव आयुक्त को बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग में अन्य चुनाव आयुक्तों की तुलना में अधिक शक्तिशाली माना जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त आयोग का अध्यक्ष होता है और उसके पास आयोग के कार्यों के संचालन में अन्य चुनाव आयुक्तों की तुलना में अधिक अधिकार होते हैं।

☛ मुख्य चुनाव आयुक्त की शक्तियों और कर्तव्यों को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है:

- ❖ **शक्तियां:** मुख्य चुनाव आयुक्त के पास चुनावों के संबंध में निम्नलिखित शक्तियां हैं:
  - चुनावों के कार्यक्रम और समय निर्धारित करना
  - मतदाता सूचियों को तैयार करना और संशोधित करना
  - राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिह्न आवंटित करना
  - चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों को निर्देश देना
  - चुनावों के दौरान किसी भी प्रकार के अनियमितता या भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए जांच करना
- ❖ **कर्तव्य:** मुख्य चुनाव आयुक्त के पास चुनावों के संबंध में निम्नलिखित कर्तव्य हैं:
  - चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त तरीके से कराना
  - सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना
  - चुनावों के दौरान मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना

मुख्य चुनाव आयुक्त के अधिकार

➢ **बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग में, मुख्य चुनाव आयुक्त के पास निम्नलिखित अधिकार होते हैं:**

- ❖ **आयोग के कार्यों का संचालन:** मुख्य चुनाव आयुक्त आयोग के कार्यों का संचालन करने के लिए उत्तरदायी होता है।
- ❖ **निर्णय लेना:** आयोग के निर्णय बहुमत के आधार पर होते हैं। लेकिन, यदि निर्णय बराबर हो जाता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का निर्णय अंतिम होता है।

☛ **आयोग की बैठकें बुलाना:** मुख्य चुनाव आयुक्त आयोग की बैठकें बुलाने और उनमें अध्यक्षता करने के लिए उत्तरदायी होता है।

☛ **आयोग के सचिवालय का नियंत्रण:** मुख्य चुनाव आयुक्त आयोग के सचिवालय का नियंत्रण करता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त की चुनौतियाँ

☛ बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग में, मुख्य चुनाव आयुक्त को कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- ❖ **अन्य चुनाव आयुक्तों के साथ सामंजस्य:** मुख्य चुनाव आयुक्त को अन्य चुनाव आयुक्तों के साथ सामंजस्य बनाए रखना होता है।
- ❖ **निर्णय लेने में सहमति:** आयोग के निर्णय बहुमत के आधार पर होते हैं। इसलिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को अन्य चुनाव आयुक्तों को अपने साथ मिलाने के लिए प्रयास करना पड़ता है।
- ❖ **राजनीतिक दबाव:** चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय है, लेकिन यह राजनीतिक दबाव से मुक्त नहीं है। राजनीतिक दलों अक्सर चुनाव आयोग पर अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए दबाव डालते हैं।
- ❖ **वित्तीय संसाधनों की कमी:** चुनाव आयोग के पास चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं हैं। इससे चुनाव आयोग को कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- ❖ **कर्मचारियों की कमी:** चुनाव आयोग को चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। लेकिन चुनाव आयोग के पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। इससे चुनाव आयोग को कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

☛ बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थिति को लेकर कई तरह के विचार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थिति कमजोर हो गई है, जबकि अन्य का मानना है कि यह स्थिति अब और भी मजबूत हो गई है।

➢ **मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थिति को कमजोर करने वाले तर्क**

☛ मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थिति को कमजोर करने वाले कुछ तर्क निम्नलिखित हैं:

- ❖ चुनाव आयोग के निर्णय अब बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। इससे यह संभव हो सकता है कि अन्य चुनाव आयुक्तों के साथ मतभेद होने पर मुख्य चुनाव आयुक्त का निर्णय अस्वीकृत कर दिया जाए।

- ❖ मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया अब और भी कठिन हो गई है। अब केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। इससे यह संभव हो सकता है कि राजनीतिक दबाव के कारण मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटा दिया जाए।

➢ **मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थिति को मजबूत करने वाले तर्क**

☛ मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थिति को मजबूत करने वाले कुछ तर्क निम्नलिखित हैं:

- ❖ बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग में निर्णय लेने की प्रक्रिया अब और भी पारदर्शी हो गई है। इससे यह संभव हो गया है कि चुनाव आयोग के निर्णयों पर अधिक से अधिक लोगों का विश्वास हो।
- ❖ मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया अब और भी कठिन हो गई है। इससे यह सुनिश्चित हो गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का पद केवल योग्य और निष्पक्ष व्यक्तियों के लिए ही उपलब्ध होगा।

निष्कर्ष

☛ बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग में, मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त आयोग का अध्यक्ष होता है और उसके पास आयोग के कार्यों के संचालन में अन्य चुनाव आयुक्तों की तुलना में अधिक अधिकार होते हैं। हालांकि, मुख्य चुनाव आयुक्त को अन्य चुनाव आयुक्तों के साथ सामंजस्य बनाए रखने, निर्णय लेने में सहमति प्राप्त करने और राजनीतिक दबावों से बचने जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है।

☛ भारत के संविधान में चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय के रूप में परिभाषित किया गया है। बहु- सदस्यीय चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थिति इस स्वतंत्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है

➢ **स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। इस संबंध में चुनावी पहचान पत्र किस उद्देश्य की पूर्ति करता है?**

☛ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को संघ और राज्य चुनावों के संचालन के लिए एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। आयोग के पास चुनावी प्रक्रियाओं को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए व्यापक शक्तियां और जिम्मेदारियां हैं।

☛ आयोग की भूमिका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना है। इसके लिए आयोग निम्नलिखित कार्य करता है:

☛ आयोग की भूमिकाओं में शामिल हैं:

- ❖ चुनाव की तिथियों और कार्यक्रमों की घोषणा करना
- ❖ मतदाता सूचियों का निर्माण और रखरखाव करना
- ❖ उम्मीदवारों के नामांकन और योग्यता की जांच करना
- ❖ चुनाव प्रचार के लिए नियम और विनियम निर्धारित करना
- ❖ चुनावों के दौरान मतदान और मतगणना की निगरानी करना
- ❖ चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना
- ❖ चुनाव सामग्री और कर्मचारियों की व्यवस्था करना
- ❖ चुनावों का संचालन करना
- ❖ चुनावों के परिणामों की घोषणा करना

☛ आयोग की भूमिका को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

- ❖ आयोग का गठन संसद द्वारा किया जाता है, लेकिन आयोग का अध्यक्ष और अन्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
- ❖ आयोग का कार्यकाल छह साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति आयोग की कार्य अवधि को बढ़ा या कम कर सकते हैं।
- ❖ आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटाने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है।
- ❖ आयोग ने भारत में लोकतंत्र की स्थापना और मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयोग की पहलों के कारण, भारत में चुनावों की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और समावेशी हो गई है।

आयोग की उपलब्धियां

➢ **भारतीय चुनाव आयोग ने निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल की हैं:**

- ❖ मतदाता साक्षरता और भागीदारी में वृद्धि
- ❖ मतदान प्रणाली में सुधार
- ❖ चुनावी खर्चों पर नियंत्रण
- ❖ महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के बीच मतदान में वृद्धि
- ❖ चुनावों में हिंसा और अनियमितताओं में कमी
- ❖ राजनीतिक दलों के आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करना

आयोग की चुनौतियां

➢ भारतीय चुनाव आयोग को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:

- ❖ मतदाता जागरूकता में कमी
- ❖ धन और शक्ति के साथ राजनीतिक दलों का प्रभाव
- ❖ मतदाता पंजीकरण में अनियमितताएं
- ❖ बढ़ती जनसंख्या और मतदाता सूची में बढ़ती संख्या
- ❖ राजनीतिक दलों और मतदाताओं के बीच बढ़ती अविश्वास
- ❖ मतदान और मतगणना में तकनीकी समस्याएं
- ❖ चुनावी हिंसा

चुनाव पहचान पत्र की भूमिका

- चुनाव पहचान पत्र (EPIC) एक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की पहचान और नागरिकता को प्रमाणित करता है। यह चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है। EPIC का उपयोग मतदाता सूचियों में नामों को सत्यापित करने और मतदान के लिए मतदाताओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं के लिए चुनाव पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया है
- **चुनाव पहचान पत्र निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करता है:**
  - ❖ मतदाता जालसाजी को रोकने में मदद करना
  - ❖ चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना
  - ❖ यह मतदाताओं के बीच मतदान के अधिकार को बढ़ावा देता है।
  - ❖ मतदाता भागीदारी को बढ़ावा देना
- **चुनाव पहचान पत्र के साथ भी कुछ चुनौतियां जुड़ी हुई हैं। इनमें से कुछ चुनौतियां निम्नलिखित हैं:**
  1. चुनाव पहचान पत्र के लिए आवेदन करने में मतदाताओं को कठिनाई हो सकती है।
  2. चुनाव पहचान पत्र की लागत अधिक हो सकती है।
  3. चुनाव पहचान पत्र में गड़बड़ी हो सकती है। (Fake Id Generate)

निष्कर्ष

- भारतीय चुनाव आयोग एक महत्त महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है जो भारत में लोकतंत्र की स्थापना और मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आयोग ने निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। हालांकि, आयोग को अभी भी मतदाता जागरूकता में वृद्धि, धन और शक्ति के साथ राजनीतिक दलों के प्रभाव को कम करने और चुनावी हिंसा को रोकने जैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- चुनाव पहचान पत्र एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो इन चुनौतियों को दूर करने में मदद कर सकता है। EPIC का उपयोग मतदाता जालसाजी को रोकने, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने और मतदाता भागीदारी को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।

➢ **चुनाव प्रचार से आप क्या समझते हैं भारत में चुनाव प्रचार के महत्वपूर्ण तरीकों पर प्रकाश डालें-**

- चुनाव प्रचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों को राजनीतिक पार्टियों और उनके उम्मीदवारों के बीच विचार-विमर्श को बढ़ावा देना है ताकि वे सबसे अच्छे विकल्प को चुन सकें। भारत में चुनाव प्रचार का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यह लोगों को सच्चाई और सही जानकारी प्राप्त करने का माध्यम प्रदान करता है और एक सशक्त नागरिक समाज की नींव रखता है। चुनाव प्रचार के तरीकों में विभिन्न आयाम होते हैं जो सामाजिक, राजनीतिक, और सांस्कृतिक परिस्थितियों के साथ जुड़े होते हैं।

चुनाव प्रचार का महत्व:

1. **जनता को जागरूक करना:** चुनाव प्रचार का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है ताकि वे अपने अधिकारों का सही तरीके से उपयोग कर सकें और सही नेता चुन सकें। प्रचार के माध्यम से लोगों को राजनीतिक मुद्दों, नेताओं की योजनाओं और उनकी पार्टी के सिद्धांतों के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे वे सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं।
2. **राजनीतिक दलों को जनप्रिय बनाना:** चुनाव प्रचार राजनीतिक पार्टियों को लोगों के बीच पहचान बनाने में मदद करता है। नेता और पार्टियों को अपने विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत करने का अवसर मिलता है ताकि वे जनमास के बीच लोकप्रिय बन सकें और चुनाव जीत सकें।
3. **राजनीतिक जागरूकता बढ़ाना:** चुनाव प्रचार से लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया और सरकारी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। इससे उनकी राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है और वे सक्षम होते हैं अधिकारिक रूप से भाग लेने में।
4. **दृष्टिकोण विकसित करना:** चुनाव प्रचार के माध्यम से लोगों को विभिन्न दृष्टिकोणों से जानकारी मिलती है और वे अपने सोचने का तरीका विकसित कर सकते हैं। यह एक समर्थन और विरोध की प्रक्रिया होती है जो समृद्धि और विकास के लिए उपयुक्त होती है।
5. **समाज में सकारात्मक परिवर्तन:** चुनाव प्रचार से सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया जा सकता है। लोगों को उनके अधि कारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने से समाज में सुधार हो सकता है और लोग सही निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं।

चुनाव प्रचार के महत्वपूर्ण तरीके:

1. **रैलीज और सभा:**
   - ❖ **रैलीज (Rallies):** रैलीज एक प्रमुख चुनाव प्रचार का तरीका है जिसमें नेता और उम्मीदवार एक स्थान पर एकत्र होकर लोगों से मिलते हैं और अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। यह एक सीधा रूप है जिसमें नेता लोगों से सीधे जुड़कर उनके समर्थन को प्राप्त करने का प्रयास करता है।
   - ❖ **सभा (Public Meetings) :** सभा एक और महत्वपूर्ण चुनाव प्रचार का साधन है जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को एक स्थान पर एकत्र किया जाता है। नेता और उम्मीदवार अपने विचारों को लोगों के सामने रखते हैं और उनके समर्थन के लिए प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।
2. **मीडिया अभियान:**
   - ❖ **टीवी एवं रेडियो:** टीवी और रेडियो चुनाव प्रचार के लिए महत्वपूर्ण माध्यम हैं। नेता और पार्टियां अपनी योजनाओं और समर्थन के आधार पर विज्ञापन, संवाद और कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाती हैं।

- ❖ **इंटरनेट:** आधुनिक युग में इंटरनेट भी एक महत्वपूर्ण चुनाव प्रचार का साधन बन गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, और ऑनलाइन विज्ञापनों के माध्यम से नेता और पार्टियां अपनी मैसेज को लोगों तक पहुंचाती हैं।
- ❖ **अखबार और पत्रिकाएं:** चुनाव प्रचार के लिए अखबार और पत्रिकाएं भी महत्वपूर्ण हैं। यहां नेता और पार्टियां लेख, अधिवेशन, और साक्षात्कार के माध्यम से अपने विचारों को लोगों के सामने रखते हैं।

3. **चुनावी पोस्टर और पैम्फ्लेट्स:**
   - ❖ राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार चुनावी पोस्टर और पैम्फ्लेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि वह लोगों तक अपनी मैसेज पहुंचा सकें। इनमें उम्मीदवार की जीवनी, कार्यक्षेत्र, और विचारों का संक्षेप होता है।
4. **चुनावी गीत और जिंगल्स:**
   - ❖ चुनावी गीत और जिंगल्स एक और रोचक तकनीक हैं जिनका उपयोग उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। ये गीत लोगों को उत्साहित करते हैं और उन्हें अपने दल के पक्ष में जानकारी प्रदान करने में मदद करते हैं।
5. **विशेषाधिकार सभाएं:**
   - ❖ राजनीतिक दल और उम्मीदवार विभिन्न समुदायों, जातियों, और वर्गों में विशेषाधिकार सभाएं आयोजित करके अपने समर्थकों को जुटाने का प्रयास करते हैं।
6. **स्टार प्रचारक:**
   - ❖ स्टार प्रचारक वामुल्य से चुनावी प्रक्रिया में रुचि बढ़ा सकता है, क्योंकि उनकी चरित्र और पहचान से जुड़े लोग उनके समर्थन कर सकते हैं। स्टार्स ज्यादातर बॉलीवुड अभिनेता/अभिनेत्री, खेलकूद के सितारे, सांगीतकार, या अन्य प्रमुख जनकला क्षेत्र के व्यक्तित्व हो सकते हैं जो सार्वजनिक में पहचाने जाते हैं।
   - ❖ स्टार प्रचारक का उपयोग उम्मीदवार के पक्ष से लोगों को प्रभावित करने, उनके समर्थन को बढ़ाने, और उम्मीदवार को जनसमर्थन प्राप्त करने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। यह एक रणनीतिक रुप से प्रमुख टूल हो सकता है जिससे चुनावी प्रक्रिया में रुचि बढ़ाने और वोटर्स को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है।
7. **सार्वजनिक सभाएं**
   - ❖ सार्वजनिक सभाएं चुनाव प्रचार का सबसे पारंपरिक तरीका है। इन सभाओं में, उम्मीदवार अपने विचारों, नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में मतदाताओं को संबोधित करते हैं। सार्वजनिक सभाएं उम्मीदवारों को एक बड़े दर्शकों से जुड़ने और अपने संदेश को फैलाने का एक अच्छा अवसर प्रदान करती हैं।
8. **घर-घर जाकर प्रचार**
   - ❖ घर-घर जाकर प्रचार एक प्रभावी चुनाव प्रचार तरीका है। इस प्रचार में, उम्मीदवार या उनके समर्थक मतदाताओं के घरों में जाते हैं और उन्हें अपने बारे में बताते हैं। घर-घर जाकर प्रचार के माध्यम से, उम्मीदवार मतदाताओं से सीधे जुड़ सकते हैं और उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं।
9. **ईमेल और एसएमएस:**
   - ❖ राजनीतिक दल और उम्मीदवार मतदाताओं को ईमेल और एसएमएस के माध्यम से चुनावी सामग्री भेजते हैं। ये संदेश मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं।

☛ **भारत में चुनाव प्रचार के तरीके समय के साथ बदलते रहे हैं।** आधुनिक तकनीकों के आगमन के साथ, चुनाव प्रचार अधिक लक्ष्यित और प्रभावी हो गया है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार अब मतदाताओं को उनके मुद्दों और नीतियों के बारे में सूचित करने के लिए अधिक विविध तरीकों का उपयोग कर सकते हैं।

☛ **चुनाव प्रचार के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं** जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। इनमें शामिल हैं:

- ❖ **स्पष्टता:** चुनाव प्रचार सामग्री स्पष्ट और समझने में आसान होनी चाहिए।
- ❖ **सटीकता:** चुनाव प्रचार सामग्री सटीक और तथ्यात्मक होनी चाहिए।
- ❖ **निष्पक्षता:** चुनाव प्रचार सामग्री निष्पक्ष और पक्षपात रहित होनी चाहिए।

☛ चुनाव प्रचार एक महत्वपूर्ण लोकतंत्र प्रक्रिया का हिस्सा है। यह मतदाताओं को सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। हालांकि, चुनाव प्रचार के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। इनमें शामिल हैं:

- ❖ **प्रचार:** चुनाव प्रचार अक्सर प्रचार और झूठे दावों से भरा होता है।
- ❖ **धन की शक्ति:** चुनाव प्रचार में धन की शक्ति एक प्रमुख भूमिका निभाती है। जिन दलों के पास अधिक धन है, वे अधिक प्रभावी प्रचार कर सकते हैं।
- ❖ **ध्रुवीकरण:** चुनाव प्रचार अक्सर ध्रुवीकरण और मतभेदों को बढ़ावा देता है।

☛ चुनाव प्रचार के इन **नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए, चुनाव प्रचार पर कुछ नियम और कानून लागू किए गए हैं। इनमें शामिल हैं:**

- ❖ चुनाव आयोग द्वारा प्रचार सामग्री की जांच: चुनाव आयोग चुनाव प्रचार सामग्री की जांच करता है और सुनिश्चित करता है कि यह स्पष्ट, सटीक और निष्पक्ष हो। प्रचार खर्च की सीमा: चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार पर खर्च की सीमा तय की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी दलों को एक समान अवसर मिले।

- ❖ चुनाव प्रचार में किसी भी तरह का भेदभाव या हिंसा की अनुमति नहीं है।
- ❖ चुनाव प्रचार के लिए किसी भी तरह की धोखाधड़ी या गड़बड़ी की अनुमति नहीं है।

निष्कर्ष

☞ चुनाव प्रचार एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। चुनाव प्रचार के माध्यम से, उम्मीदवार मतदाताओं तक पहुंच सकते हैं और उन्हें अपने बारे में बता सकते हैं। हालांकि, चुनाव प्रचार के नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी रहे।

➢ **चुनाव लोकतंत्र की धड़कनों की तरह होते हैं, यदि ये बहुत जल्दी, गलत ढंग से होते हैं, तो लोकतंत्र ध्वस्त हो जाता है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में मध्यावधि चुनाव पर अपने विचार व्यक्त करें-**

☞ चुनाव लोकतंत्र की धड़कनों की तरह होते हैं। ये जनता की इच्छा का प्रतीक होते हैं और सरकार को जवाबदेह बनाए रखने में मदद करते हैं। चुनावों के माध्यम से, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उन्हें यह बताती है कि उन्हें क्या करना चाहिए।

☞ मध्यावधि चुनाव ऐसे चुनाव होते हैं जो निर्धारित समय से पहले होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हालांकि, संसद के दोनों सदनों के बहुमत से लोकसभा को किसी भी समय भंग किया जा सकता है।

☞ भारतीय राजनीति में मध्यावधि चुनावों का एक लंबा इतिहास रहा है। 1952 से 1967 तक, भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। हालांकि, 1967 के बाद, राज्य सरकारें अपने 5 साल के कार्यकाल से पहले ही गिरने लगीं और गठबंध न टूटने लगे। इसके परिणामस्वरूप, भारत में विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव अलग-अलग कराए जाने लगे।

☞ भारतीय राजनीति में मध्यावधि चुनावों के कई उदाहरण हैं। 1971 में, इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए मध्यावधि चुनाव कराए। 1989 में, जनता दल ने सरकार गिराने के लिए मध्यावधि चुनाव कराए। 2004 में, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने के लिए मध्यावधि चुनाव कराए।

☞ भारतीय संविधान में मध्यावधि चुनावों के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। लेकिन इस प्रावधान का प्रयोग बहुत कम किया गया है।

☞ भारत में अब तक 14 मध्यावधि चुनाव हुए हैं। इनमें से 10 चुनावों में सत्ताधारी दल को हार का सामना करना पड़ा है।

➢ **भारतीय राजनीति में मध्यावधि चुनावों के पक्ष में कुछ तर्क दिए जाते हैं। इन तर्कों में शामिल हैं:**

- ❖ मध्यावधि चुनाव सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। यदि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरती है, तो जनता उसे हटा सकती है।
- ❖ मध्यावधि चुनाव राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। यदि सरकार को स्थिर बहुमत प्राप्त होता है, तो वह बिना किसी बाधा के अपने कार्यक्रमों को लागू कर सकती है।
- ❖ मध्यावधि चुनाव नए विचारों और चेहरों को सामने लाते हैं। इससे भारतीय राजनीति में नवाचार और विकास को बढ़ावा मिलता है।
- ❖ राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन: मध्यावधि चुनावों के माध्यम से लोग राजनीतिक दलों की प्रदर्शनी का मूल्यांकन कर सकते हैं। यह दलों को जनमत की राय और समर्थन की मात्रा के आधार पर जानकारी प्रदान करता है।
- ❖ राजनीतिक जागरूकता: मध्यावधि चुनावों में होने वाली चर्चाएं और चुनावी प्रचार में लोगों को राजनीतिक मुद्दों और परिस्थितियों के बारे में जागरूक करने में मदद करती हैं।
- ❖ प्रतिनिधित्व का माध्यम: मध्यावधि चुनाव एक तरह का प्रतिनिधित्व का मौका प्रदान करते हैं। इसमें विभिन्न वर्गों, समुदायों, और क्षेत्रों के लोगों को सरकार में उपस्थित करने का एक मौका होता है।
- ❖ राजनीतिक समर्थन की जांच: मध्यावधि चुनाव यह देखने का मौका प्रदान करते हैं कि क्या लोग सरकार की नीतियों और कार्यशैली के साथ संतुष्ट हैं या नहीं।
- ❖ पॉलिटिकल दलों की तैयारी: मध्यावधि चुनाव राजनीतिक दलों को आने वाले सामान्य चुनावों की तैयारी के लिए एक मौका प्रदान करते हैं।
- ❖ लोगों की भागीदारी: इन चुनावों में लोग अधिकतम संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी का स्तर बढ़ता है।
- ❖ राजनीतिक स्थिति का पुनर्निरीक्षण: मध्यावधि चुनाव समय समय पर राजनीतिक स्थिति का पुनर्निरीक्षण करने का मौका प्रदान करते हैं और लोगों को नई राजनीतिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

➢ **हालांकि, भारतीय राजनीति में मध्यावधि चुनावों के खिलाफ भी कुछ तर्क दिए जाते हैं। इन तर्कों में शामिल हैं:**

- ❖ मध्यावधि चुनाव अस्थिरता पैदा करते हैं। इससे आर्थिक विकास और सामाजिक विकास बाधित होता है।
- ❖ मध्यावधि चुनाव महंगे होते हैं। इससे देश के संसाधनों का दुरुपयोग होता है।
- ❖ मध्यावधि चुनाव राजनीतिक दलों के लिए एक अवसर होते हैं कि वे अपनी ताकत का प्रदर्शन करें और अपने विरोधियों को कमजोर करें। इससे राजनीतिक हिंसा और सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है।

- ❖ **खर्च का विनियमन:** अनेक बार मध्यावधि चुनावों के आयोजन के लिए बड़े राशियों का खर्च किया जाता है, जिससे सामाजिक, आर्थिक या सामरिक क्षेत्र में और भी महत्वपूर्ण योजनाएं हो सकती हैं। इससे यह सवाल उठता है कि यह धन क्या उचित है और क्या नहीं, और क्या इसे और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश किया जा सकता है।
- ❖ **स्थानीय चुनावों की महत्वपूर्णता:** कुछ लोग मध्यावधि चुनावों को राष्ट्रीय चुनावों के मुकाबले कम महत्वपूर्ण मान सकते हैं और इसे एक आपसी समझौता मान सकते हैं। इस दृष्टिकोण से, स्थानीय चुनावों को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण हो सकता है।
- ❖ **विफलता का खतरा:** यह तर्क कह सकता है कि मध्यावधि चुनावों का आयोजन करने का प्रयास विफल हो सकता है और इससे सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक असमानता बढ़ सकती है।
- ❖ **नई सरकार की स्थापना की आवश्यकता:** कुछ लोग मध्यावधि चुनावों को समझा सकते हैं कि नई सरकार की स्थापना की आवश्यकता नहीं है और इससे पहले की सरकार को अपनी कार्यक्षमता को साबित करने का मौका देना चाहिए।
- ❖ **व्यापारिक संस्कृति:** कुछ लोग यह तर्क कर सकते हैं कि मध्यावधि चुनावों का आयोजन करना एक व्यापारिक संस्कृति बढ़ाता है जिससे चुनावी प्रक्रिया की मूल उद्देश्यों से भटक जाता है।
- ❖ **सामाजिक असमानता:** यह तर्क कर सकता है कि मध्यावधि चुनावों का आयोजन करने के लिए बड़ी राशियों का खर्च किसी समाज की असमानता को बढ़ा सकता है, क्योंकि यह उनको उम्मीदवार बनने के लिए अधिक आर्थिक संसाधन प्रदान कर सकता है।

मध्यावधि चुनाव का महत्व:

1. **प्रतिनिधित्व का स्तान:** मध्यावधि चुनाव नए प्रतिनिधियों को स्थानांतरित करने का माध्यम प्रदान करते हैं जो समाज की विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इसके माध्यम से नए और युवा नेतृत्व को प्रोत्साहित किया जा सकता है जो समाज की विभिन्न समस्याओं और चुनौतियों का समर्थन कर सकते हैं।
2. **राजनीतिक प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी:** मध्यावधि चुनाव राजनीतिक प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी लाने में मदद कर सकते हैं और लोगों को सही जानकारी प्रदान करने का माध्यम बना सकते हैं। यह लोगों को उन्हें चुनने के लिए उपयुक्त नेता चयन करने में मदद कर सकता है और राजनीतिक प्रक्रिया को दिल्ली के साथ साथ गाँवों तक पहुँचाने में सहारा प्रदान कर सकता है।
3. **युवा पीढ़ी को सशक्त करना:** मध्यावधि चुनाव युवा पीढ़ी को सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने का एक अवसर प्रदान कर सकते हैं। युवा नेताओं को उच्च स्तरीय नेतृत्व की ओर प्रोत्साहित करना और उन्हें समाज की समस्याओं के समाधान में भागीदार बनाना महत्वपूर्ण है।
4. **सामाजिक न्याय:** मध्यावधि चुनाव लोगों को सामाजिक न्याय की दिशा में सोचने का एक अवसर प्रदान कर सकते हैं। यह अलग-अलग वर्गों, जातियों, लिंगों, और क्षेत्रों को समान अधिकारों के साथ मिलकर समाज में सामंजस्य और समरसता बढ़ा सकता है।
5. **राजनीतिक स्थिति का मूल्यांकन:** मध्यावधि चुनावें एक तरह से जनता के बीच एक राजनीतिक मूल्यांकन का भी कार्य करती हैं। इनमें से हर चुनाव एक संदेश होता है जो यह दिखाता है कि जनता की राय क्या है और किस प्रकार के मुद्दे उन्हें महत्वपूर्ण हैं।
6. **नए नेतृत्व का चयन:** ये चुनाव नए नेताओं को बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का एक मौका प्रदान करते हैं। नए और युवा नेता राजनीतिक स्कीमों और प्रक्रियाओं में नई दिशा तय कर सकते हैं और जनता की आवश्यकताओं को समझकर कदम उठा सकते हैं।
7. **सामाजिक और आर्थिक सुधार:** मध्यावधि चुनावों में लोगों को विचार करने का मौका मिलता है और उन्हें अपनी समस्याओं और जरूरतों के बारे में सोचने का अवसर होता है। इसके माध्यम से समाज में सुधार हो सकता है और विभिन्न समृद्धि क्षेत्रों में नई योजनाएं लागू की जा सकती हैं।
8. **सामाजिक समाजबदल:** मध्यावधि चुनावों का आयोजन समाज में बदलाव का एक माध्यम भी हो सकता है। ये चुनाव समाज को एक ऐसे राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने का अधिकार प्रदान करते हैं और सामाजिक समानता और न्याय की दिशा में कदम उठाने में मदद करते हैं।
9. **राष्ट्रीय एकता का साधन:** ये चुनाव एक राष्ट्रीय समृद्धि और एकता की भावना को बढ़ावा देने का एक माध्यम भी हो सकते हैं। जब लोग एक साथ मिलकर नए नेताओं का चयन करते हैं, तो यह एक सामूहिक एहसास को बढ़ा सकता है जिससे राष्ट्र की एकता में सुधार हो।

मध्यावधि चुनावों में चुनौतियां

☛ मध्यावधि चुनावों में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हो सकती हैं, जो निम्नलिखित हो सकती हैं:

1. **राजनीतिक संघर्ष:** चुनावों में राजनीतिक दलों के बीच महत्वपूर्ण संघर्ष होता है। दलों के बीच मतभेद, गठबंधन बनाना, और विभिन्न मुद्दों पर एकमत नहीं होना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
2. **विभाजन और इकाई:** चुनावों में जातिवाद, क्षेत्रवाद, और धार्मिक विभाजन के कारण वार्ता और एकता में कमी हो सकती है, जिससे वोटों का बंटवारा हो सकता है।
3. **विधायिका सीटों की प्रतिष्ठा:** चुनावों में उम्मीदवारों के बीच सीटों की प्रतिष्ठा पर भरोसा रखना भी एक चुनौती हो सकती है, खासकर जब सीटें सीमित होती हैं और प्रतिष्ठानुसार बाँटना होता है।

4. **चुनावी विफलता:** उम्मीदवारों को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि चुनावी प्रचार में हानि, विवाद, या उम्मीदवार की गलतियों के कारण।
5. **चुनाव प्रबंधन:** चुनाव प्रबंधन में निर्वाचन आयोग के साथ सहयोग और निगरानी में सुरक्षा की स्थिति पर निर्भर करना हो सकता है। इसमें चुनावी शांति और तंत्र सुरक्षा का सवाल शामिल हो सकता है।
6. **मुद्दे और नीतियाँ:** चुनावों में उम्मीदवारों को समाज, आर्थिक स्थिति, और अन्य मुद्दों पर एकजुट करना और उन्हें सही नीतियों का समर्थन करना होता है।
7. **वोटर की भावनाएं:** चुनावों में वोटरों की भावनाएं और उनके रुझानों को समझना भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। वोटर विश्लेषण और समझ आवश्यक है।
8. **तकनीकी चुनौतियां:** चुनावों में तकनीकी चुनौतियां भी हो सकती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, और इंटरनेट पर आधारित प्रचार-प्रसार का संरक्षण।

☛ वर्तमान में, भारत में मध्यावधि चुनावों की संभावना कम है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में है और उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। हालांकि, अगर सरकार के खिलाफ अलोकप्रियता बढ़ती है, तो विपक्षी दलों को सरकार को गिराने के लिए मध्यावधि चुनाव कराने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

☛ भारतीय राजनीति में मध्यावधि चुनावों को सीमित रखना चाहिए। मध्यावधि चुनाव तभी होने चाहिए जब सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रही हो, या जब देश में राजनीतिक अस्थिरता हो।

➢ **भारत में मध्यावधि चुनावों के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए जा सकते हैं:**

- ❖ संविधान में मध्यावधि चुनावों के लिए एक स्पष्ट प्रावधान किया जाना चाहिए।
- ❖ मध्यावधि चुनावों का आयोजन केवल तभी किया जाना चाहिए जब सरकार को लोकसभा में बहुमत प्राप्त न हो।
- ❖ मध्यावधि चुनावों के लिए एक न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को चुनावों की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।
- ❖ चुनाव आचार संहिता को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
- ❖ सभी राजनीतिक दलों को चुनावों में समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

☛ इन प्रावधानों से मध्यावधि चुनावों के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। इससे भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।

☛ मध्यावधि चुनाव भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती हैं। यदि इन चुनावों को जिम्मेदारी से और निष्पक्षता से आयोजित किया जाता है, तो ये सरकार की जवाबदेही बढ़ाने और राजनीतिक अस्थिरता को कम करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि, यदि इन चुनावों को जल्दी-जल्दी या गलत ढंग से आयोजित किया जाता है. तो ये लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

निष्कर्ष

☛ चुनाव लोकतंत्र की धड़कनें हैं। यदि ये चुनाव नियमित रूप से और निष्पक्षता से आयोजित किए जाते हैं, तो वे सरकार की जवाबदेही बढ़ाते हैं और राजनीतिक अस्थिरता को कम करते हैं। हालांकि, यदि चुनाव जल्दी-जल्दी या गलत ढंग से आयोजित किए जाते हैं, तो ये लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

➢ **चुनाव सुधार पर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के हालिया फैसले को बताएं कि इसका भविष्य में भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चुनाव में कुछ भविष्य के सुधार का भी सुझाव दें**

☛ सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें उसने चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव किया। अब, चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इससे पहले, चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती थी।

☛ सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारत के लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे चुनाव आयोग की स्वायत्तता और निष्पक्षता में वृद्धि होगी। यह फैसला राजनीतिक दलों के दबाव से चुनाव आयोग को मुक्त करेगा और उसे स्वतंत्र रूप से चुनाव कराने में सक्षम बनाएगा।

भारतीय निर्वाचन सुधार को चिंताएँ :-

☛ भारतीय निर्वाचन सुधार को लेकर कई चिंताएँ हैं। इनमें से कुछ प्रमुख चिंताएँ निम्नलिखित हैं:

- ❖ **मतदाता सूची में गड़बड़ी:** मतदाता सूची में गड़बड़ी एक गंभीर समस्या है। इसमें दोहराव, मृत मतदाताओं का नाम, और अपात्र मतदाताओं का नाम शामिल हैं। इससे चुनाव में अनियमितता और मतदान में धांधली की संभावना बढ़ जाती है।
- ❖ **मतदान में धांधली:** मतदान में धांधली एक और गंभीर समस्या है। इसमें मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर धांधली, मतदान प्रक्रिया में धांधली, और मतदान परिणामों में धांधली शामिल हैं। इससे चुनाव में निष्पक्षता और लोकतंत्र की भावना को ठेस पहुंचती है।
- ❖ **चुनाव खर्च:** चुनाव खर्च एक बढ़ती हुई चिंता है। चुनाव में खर्च बढ़ने से राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों पर धनी व्यक्तियों और समूहों का प्रभाव बढ़ता है। इससे चुनाव में निष्पक्षता और लोकतंत्र की भावना को ठेस पहुंचती है।

- **राजनीतिक दलों की वित्तीय स्थिति:** राजनीतिक दलों की वित्तीय स्थिति एक चिंता का विषय है। राजनीतिक दल अक्सर धनी व्यक्तियों और समूहों से धन प्राप्त करते हैं। इससे राजनीतिक दलों पर इन धनी व्यक्तियों और समूहों का प्रभाव बढ़ता है। इससे चुनाव में निष्पक्षता और लोकतंत्र की भावना को ठेस पहुंचती है।
- **चुनाव आयोग की स्वतंत्रता:** चुनाव आयोग की स्वतंत्रता एक चिंता का विषय है। चुनाव आयोग को सरकार से स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन कई बार सरकार चुनाव आयोग पर दबाव डालती है। इससे चुनाव में निष्पक्षता और लोकतंत्र की भावना को ठेस पहुंचती है।
- **मतदाताओं की जागरूकता:** मतदाताओं की जागरूकता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मतदाताओं को चुनाव की प्रक्रिया, उम्मीदवारों के मुद्दों और उम्मीदवारों की योग्यता के बारे में जागरूक होना चाहिए। लेकिन कई मतदाता चुनाव की प्रक्रिया और उम्मीदवारों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं रखते हैं। इससे मतदाताओं का चुनाव में सही निर्णय लेने में बाधा होती है।
- **चुनाव प्रचार:** चुनाव प्रचार एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। चुनाव प्रचार के माध्यम से उम्मीदवार अपने मुद्दों और अपने बारे में मतदाताओं को बताते हैं। लेकिन चुनाव प्रचार अक्सर झूठे और भ्रामक दावों से भरा होता है। इससे मतदाताओं को सही निर्णय लेने में बाधा होती है।
- **चुनाव शिक्षा:** चुनाव शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। चुनाव शिक्षा के माध्यम से मतदाताओं को चुनाव की प्रक्रिया, उम्मीदवारों के मुद्दों और उम्मीदवारों की योग्यता के बारे में शिक्षित किया जाता है। इससे मतदाताओं का चुनाव में सही निर्णय लेने में मदद मिलती है।

☞ **इन चिंताओं को दूर करने के लिए कई सुधारों की आवश्यकता है।** इनमें से कुछ प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं:

- मतदाता सूची में गड़बड़ी को दूर करने के लिए एक मजबूत प्रणाली की आवश्यकता है।
- मतदान में धांधली को रोकने के लिए कड़े कानून और नियमों की आवश्यकता है।
- चुनाव खर्च को नियंत्रित करने के लिए कानून और नियमों की आवश्यकता है।
- राजनीतिक दलों की वित्तीय स्थिति को पारदर्शी बनाने के लिए कानून और नियमों की आवश्यकता है।
- चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए कानून और नियमों की आवश्यकता है।
- मतदाताओं की जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है।
- चुनाव प्रचार को अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने के लिए कानून और नियमों की आवश्यकता है।
- चुनाव शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है।

☞ इन सुधारों को लागू करने के लिए सरकार, राजनीतिक दल, और नागरिक समाज के बीच सहयोग की आवश्यकता है।

चुनाव आयोग का फैसला :-

☞ चुनाव आयोग ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जिनका भविष्य में भारतीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इन फैसलों में शामिल हैं:

- राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को सार्वजनिक करने का आदेश
- चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए नए दिशानिर्देश
- चुनाव में धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए नए नियम
- मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान शुरू करना
- आधार आधारित मतदाता पहचान पत्र
- एक कैलेंडर वर्ष में वोटर आईडी के लिए 4 बार पंजीकरण

☞ इन फैसलों से चुनाव में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। इससे राजनीतिक दलों को चुनाव में जीतने के लिए केवल अपने पैसे और बाहुबल का इस्तेमाल करने से रोका जाएगा।

चुनावों में भविष्य के सुधार के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं:

- चुनावों में मतदान की आयु 18 से 16 साल तक कम की जानी चाहिए।
- चुनावों में मतदान करना अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- चुनावों में मतदान के लिए ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
- चुनावों में मतदाता जागरूकता अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए।
- चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाना
- चुनाव में महिलाओं और वंचित वर्गों की भागीदारी बढ़ाना
- चुनाव में हिंसा और अनियमितताओं को रोकना
- चुनावी प्रक्रिया में तकनीक का अधिक उपयोग करना
- चुनावी खर्चों को और अधिक नियंत्रित करने के लिए कड़े नियम बनाना
- चुनावी हिंसा को रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाना

सुझाव

- यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं जिनसे चुनाव सुधार में मदद मिल सकती है:
- चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र संस्था बनाना चाहिए जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं हो।
- चुनाव आयोग को पर्याप्त संसाधन और अधिकार दिए जाने चाहिए ताकि वह स्वतंत्र रूप से चुनाव कराए।
- चुनाव आयोग को चुनाव के नियमों और प्रक्रियाओं में समय-समय पर सुधार करने की शक्ति दी जानी चाहिए।
- चुनाव आयोग को चुनाव के बाद मतदाताओं की संतुष्टि का अध्ययन करने और सुधारों के लिए सुझाव देने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।
- इन सुझावों पर अमल से चुनाव में पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र को बढ़ावा मिलेगा।

भारतीय निर्वाचन पद्धति की आलोचना

- भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट विधि से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। अर्थात हर सीट पर सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार विजयी होता है। इसलिये जिन राजनीतिक दलों के वोट बिखरे हुए हैं, उन्हें कुल मिलाकर अच्छा-खासा वोट मिलने के बावजूद मुमकिन है कि उसके प्रतिनिधि जीतकर न आएँ।
- ये राजनीतिक दल जिन सामुदायिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन समूहों की आवाज सदन में अनसुनी रह सकती है। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी को यूपी में लगभग 20% और देश में 4.1% वोट मिले। परिणामस्वरूप वह देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, फिर भी लोकसभा में उसका कोई प्रतिनिधि नहीं था।
- इसी प्रकार वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को बिहार में 15% वोट मिले, लेकिन उसका एक भी सदस्य चुनाव नहीं जीत पाया। यह प्रणाली भारत की निर्वाचन पद्धति का एक प्रमुख दोष है।

आगे की राह

- साफ-सुथरे चुनावों और राजनीतिक पारदर्शिता से ही लोकतंत्र को वैधता मिलती है। ऐसे में महत्त्वपूर्ण चुनावी सुधारों को लागू कराना बहुत जरूरी है ताकि लोकतांत्रिक भारत भ्रष्टाचार और आपराधिक माहौल से मुक्त होकर विकास और समृद्धि की ओर अग्रसर हो सके।
- चुनाव के दौरान नेताओं के धार्मिक स्थलों पर जाने और धार्मिक नारे लगाए जाने पर रोक लगनी चाहिये तथा इसका सख्ती से पालन होना चाहिये।
- पेड न्यूज और फेक न्यूज पर सख्ती से रोक लगनी चाहिये। इनके जरिये जनमत को प्रभावित करने की कोशिश होती है, जिसका असर चुनावों पर होता है।
- सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के विनियमन के लिये आचार संहिता निर्मित करने की आवश्यकता है।
- 'वन नेशन वन इलेक्शन' के मुद्दे पर व्यापक विचार-विमर्श आयोजित करने की आवश्यकता है।

❑❑❑

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR